



उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण



श्री योगी आदित्यनाथ
मा० मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश

**विभागीय मानक संचालन प्रक्रियाएँ (एस.ओ.पी.)
हीट वेव प्रबंधन**

हीट वेव (लू) प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया



उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

बी-1 ब्लाक, प्रथम तल, पिकप भवन, गोमतीनगर,
लखनऊ-226010



लेफ्टिनेंट जनरल योगेन्द्र डिमरी

पी.वी.एस.एम., ए.वी.एस.एम., वी.एस.एम., (से.नि.)

Lt Gen Yogendra Dimri

PVSM, AVSM, VSM (Retd)

उपाध्यक्ष / Vice Chairperson



संदेश

हाल के वर्षों में, लू की आवृत्ति और तीव्रता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे मानव स्वास्थ्य, आजीविका और पर्यावरण को गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। उच्च शिक्षा और ज्ञान के संस्थानों के रूप में हमारी यह जिम्मेदारी है कि लू जैसी चरम मौसमी स्थितियों के दौरान, हम सक्रिय जलवायु लचीलेपन का समर्थन करें और जन सुरक्षा को बढ़ावा दें।

उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूपीएसडीएमए) के साथ मिलकर सभी संबंधित विभागों के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएँ (एस.ओ.पी.) विकसित की हैं। ताकि हीटवेव के प्रभावों से समय पर समन्वित और प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। ये एसओपी तैयारी, शमन, पूर्व चेतावनी प्रसार और सामुदायिक पहुँच के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करती हैं।

इस दस्तावेज का उद्देश्य राज्य और क्षेत्रीय रणनीतियों को पूर्वानुमानित कार्यवाही के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित करके उत्तर प्रदेश की आपदा प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के निरंतर प्रयासों में योगदान देना है। यह सभी विभागों और चिकित्सकों के लिए बढ़ती हुई लू के मद्देनजर, शमन और तैयारियों को मजबूत करने, संवेदनशील आबादी को सशक्त बनाने और दीर्घकालिक जलवायु अनुकूलन सुनिश्चित करने में एक मूल्यवान संसाधन के रूप में भी कार्य करता है।

मैं सभी हितधारकों—सरकारी विभागों, शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य सेवा इकाइयों, शहरी निकायों और नागरिक समाज संगठनों से आग्रह करता हूँ कि वे इन मानक संचालन प्रक्रियाओं को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ अपनाएं और लागू करें। उपरोक्त एस.ओ.पी. में तकनीकी सहयोग प्रदान करने हेतु मैं यूनीसेफ का अभार व्यक्त करता हूँ।

योगेन्द्र डिमरी

(लेफ्टिनेंट जनरल योगेन्द्र डिमरी)



उ.प्र. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
UP State Disaster Management Authority

बी-1 ब्लॉक, प्रथम तल, पिकप भवन, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226010

B-1 Block, First Floor, PICUP Bhawan, Vibhuti Khand,
Gomtinagar, Lucknow-226010



भानु चन्द्र गोस्वामी, आई.ए.एस.

राहत आयुक्त/अपर मुख्य
कार्यपालक अधिकारी

Bhanu Chandra Goswami, IAS
Relief Commissioner/Additional
Chief Executive Officer

उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
UP State Disaster Management Authority

बी-1 ब्लॉक, प्रथम तल, पिकप भवन, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226010
B-1 Block, First Floor, PICUP Bhawan, Vibhuti
Khand, Gomti Nagar Lucknow-226010



संदेश

हीटवेव जैसी आपदाओं के प्रभाव को कम करने और जनजीवन की सुरक्षा हेतु मानव संचालन प्रक्रिया SOP का क्रियान्वयन एक महत्वपूर्ण कदम है। उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रदेश में हीटवेव से निपटने हेतु विभागीय SOP तैयार की जा रही है। इस SOP के माध्यम से सभी विभागों की भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व स्पष्ट कर हीटवेव की स्थिति में त्वरित, प्रभावों एवं समन्वित कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

हीटवेव कार्य योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए अंतर-विभागीय समन्वय अत्यंत आवश्यक है। चूंकि हीटवेव कार्य योजना की रणनीतियाँ और गतिविधियाँ बहुआयामी प्रकृति की होती हैं। इसलिए हीटवेव कार्य योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभिन्न संबंधित विभागों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। अत्यधिक हीटवेव की घटनाओं से होने वाले जान-माल, आजीविका और अर्थव्यवस्था के नुकसान को बचाने में प्रत्येक विभाग समान रूप से महत्वपूर्ण है और उसकी कुछ भूमिका है। इस दस्तावेज में प्रमुख संबंधित विभागों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को सूचीबद्ध किया गया है।

इस SOP को विकसित करने में यूनीसेफ तथा टीम यूपीएसडीएम द्वारा प्रदान किये गये तकनीकी सहयोग के लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हम आशा करते हैं इस SOP के माध्यम से राज्य स्तर पर हीटवेव की रोकथाम तैयारी प्रबंधन कार्यों में और अधिक प्रभावी परिणाम प्राप्त होंगे तथा जन सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।

मैं सभी हितधारकों, सरकारी एजेंसियों, नागरिक समाज संगठनों, शोधकर्ताओं और स्थानीय समुदायों से एक सक्रिय, समग्र हीटवेव प्रबंधन रणनीति बनाने में सहयोग करने का आग्रह करता हूँ। सामुदायिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक डेटा का लाभ उठाकर हम प्रभावी अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित कर सकते हैं, कमजोर आबादी की रक्षा कर सकते और एक आपदा रोधी भारत का निर्माण कर सकते हैं।

(भानु चन्द्र गोस्वामी)

अनुक्रमणिका

परिवर्णी.....	ii
प्रस्तावना.....	1-2
परिचय एवं औचित्य.....	3-5
प्रभावी हीटवेव प्रबंधन और प्रतिक्रिया में लाइन विभागों की भूमिका.....	6-8
उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (UPSDMA).....	9-11
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA).....	12-15
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश.....	16-18
नगर विकास विभाग एवं नगर निगम.....	19-22
जल निगम, उत्तर प्रदेश.....	23-27
शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश.....	28-29
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश.....	30-33
ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश.....	34-35
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश.....	36-38
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश.....	39-41
कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश.....	42-43
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग.....	44-47
परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश.....	48-49
सूचना एवं जन-संपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश.....	50-53
समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश.....	54-56
महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश.....	57-59
श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश.....	60-63
उत्तर प्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ.....	64-66
यातायात पुलिस, उत्तर प्रदेश.....	67-69
नागरिक समाज संगठन (CSOs) गैर-सरकारी संगठन (NGOs) एजेंसियाँ.....	70-72
उत्तर प्रदेश का जिलावार लू थ्रेशोल्ड.....	73

परिवर्णी (Acronyms)

ASHA – Accredited Social Health Activist

CSR – Corporate Social Responsibility

DDMA – District Disaster Management Authority

HAP – Heat Action Plan

IEC – Information, Education and Communication

IMD – India Meteorological Department

IRCS – Indian Red Cross Society

MNREGS – Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme

NDMA – National Disaster Management Authority

ORS – Oral Rehydration Solution

SAPCC – State Action Plan on Climate Change

SDG – Sustainable Development Goal

SDMA – State Disaster Management Authority

SDRF – State Disaster Response Fund

SEOC – State Emergency Operations Centre

SHG – Self Help Group

SOP – Standard Operating Procedure

THR – Take Home Ration

UN – United Nations

UPSDMA – Uttar Pradesh State Disaster Management Authority

WCD – Women and Child Development

प्रस्तावना

आपदा, चाहे किसी भी प्रकार की हो, विकासात्मक प्रगति और समुदायों के कल्याण के लिए एक गंभीर खतरा प्रस्तुत करती है, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और विविध राज्य में। राज्य, अपने भौगोलिक विस्तार, जलवायु विविधताओं, उच्च जनसंख्या घनत्व और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं के कारण, बाढ़, सूखा, आकाशीय बिजली, हीट वेव, शीत लहर और औद्योगिक दुर्घटनाओं सहित विभिन्न खतरों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। इन आपदाओं का प्रभाव अक्सर विभिन्न विभागों द्वारा आपदा प्रबंधन और जोखिम न्यूनीकरण में समन्वित और समयबद्ध प्रतिक्रिया की कमी के कारण और भी बढ़ जाता है।

आपातकालीन परिस्थितियों के प्रबंधन में तैयारी, समन्वय और एक व्यवस्थित दृष्टिकोण के महत्व को समझते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार ने विभागों के बीच संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (UPSDMA) के अंतर्गत विभागों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOPs) का विकास इस दिशा में एक सुविचारित और आवश्यक कदम है। ये SOPs शासन के सभी स्तरों पर एकसमान, संरचित और उत्तरदायी प्रतिक्रिया तंत्र सुनिश्चित करने के लिए तैयार किए गए हैं। ये आपदा प्रबंधन चक्रकृशमन, तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्तिकृके दौरान प्रत्येक विभाग की स्पष्ट भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ निर्धारित करते हैं।

SOPs केवल निर्देशों का एक सेट नहीं हैं वे व्यावहारिक उपकरण हैं जो विभागों को अपनी नियमित योजना और संचालन में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को आत्मसात करने में सक्षम बनाते हैं। प्रत्येक SOP को विभाग-विशिष्ट जनादेश, उपलब्ध संसाधन और उत्तर प्रदेश की जमीनी वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, सिंचाई, पुलिस, अग्निशमन सेवा, परिवहन, ऊर्जा और शिक्षा जैसे विभाग आपदा प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये SOPs विभागीय जिम्मेदारियों को हीट वेव से पहले, दौरान और बाद में स्पष्ट करते हैं, जिससे सक्रिय जोखिम प्रबंधन की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है।

परिधि की दृष्टि से, SOPs संभावित आपात स्थितियों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करती हैं और खतरा-विशिष्ट तथा समेकित दृष्टिकोण दोनों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। वे विभिन्न प्रशासनिक स्तरों-राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्रामकृपर विभागीय कार्रवाइयों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। इनका जोर अंतर-विभागीय समन्वय, प्रभावी संचार चैनल, समय पर संसाधनों की जुटान और सामुदायिक सहभागिता पर है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये SOPs जलवायु लचीलापन, लैंगिक-संवेदनशील दृष्टिकोण

और समाज के सबसे कमजोर वर्गों की रक्षा के लिए समावेशिता के सिद्धांतों के एकीकरण को भी दर्शाती हैं।

इन SOPs की उपयोगिता उन सभी सरकारी और संबद्ध संस्थानों तक फैली हुई है जो राज्य के आपदा प्रबंधन ढांचे का हिस्सा हैं। चाहे वह हीट वेव से पहले की योजना हो, हीट वेव प्रतिक्रिया संचालन, हीट वेव की तैयारी या किसी बड़ी घटना के बाद पुनर्वास प्रयास हों, ये SOPs परिचालन तत्परता की रीढ़ के रूप में कार्य करती हैं। इन्हें केवल बड़ी आपदाओं के दौरान ही नहीं, बल्कि नियमित परिस्थितियों जैसे स्थानीयकृत अग्नि घटनाओं, हीट वेव के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियों में भी उपयोग करने का इरादा है। इसके अलावा, ये SOPs आपदा जोखिम प्रशासन को भी समर्थन प्रदान करेंगी, जिससे विभागीय और अंतर-एजेंसी स्तरों पर क्षमता निर्माण प्रयास, अभ्यास, सिमुलेशन और ऑडिट को सक्षम बनाया जा सके।

यह दस्तावेज एक आह्वान भी है। यह प्रत्येक अधिकारी, प्रबंधक और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता से आग्रह करता है कि वे आपदा प्रबंधन में अपनी भूमिका को अपनाएँ। संस्थागत तैयारी व्यक्तिगत जवाबदेही से शुरू होती है। इन SOPs के लागू होने से, उत्तर प्रदेश एक अधिक लचीला समाज बनाने के लिए तैयार है, जहाँ आपदाएँ अब विकास को पटरी से नहीं उतारेंगी, बल्कि हमारी प्रणालियों और संकल्प को मजबूत करने के अवसर बनेंगी। यह प्रयास उत्तर प्रदेश के लिए सुरक्षित, अधिक तैयार और आपदा-लचीले भविष्य की यात्रा में एक मील का पत्थर बने।

परिचय

भारत में हीट वेव (लू) एक गंभीर और बार-बार होने वाला जलवायु खतरा बनकर उभरी है, और उत्तर प्रदेश अपनी विशाल जनसंख्या, भौगोलिक विविधता और ग्रीष्म ऋतु के महीनों में अत्यधिक तापमान के उच्च जोखिम के कारण सबसे अधिक संवेदनशील राज्यों में से एक है। असामान्य रूप से उच्च तापमान की अवधि, जिसे हीट वेव कहा जाता है, मानव स्वास्थ्य, आजीविका, कृषि, जल संसाधनों और आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण खतरे उत्पन्न करती है। हाल के वर्षों में, हीट वेव की बढ़ती आवृत्ति, अवधि और तीव्रता के कारण हीट से संबंधित बीमारियाँ, मृत्यु और सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न हुए हैं, विशेष रूप से संवेदनशील आबादी जैसे बुजुर्ग, बच्चे, बाहरी कार्य करने वाले मजदूर और शहरी गरीबों के बीच।

इन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए, यह आवश्यक है कि सरकारी विभाग एक व्यवस्थित, समन्वित और समयबद्ध प्रतिक्रिया अपनाएँ। हीट वेव मानक संचालन प्रक्रिया (SOPs) सभी विभागों और स्थानीय प्राधिकरणों के लिए एक मार्गदर्शक ढांचा है, ताकि वे हीट वेव की घटनाओं के लिए तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति कर सकें। ये SOPs तीन प्रमुख चरणों—हीट वेव से पूर्व (तैयारी), हीट वेव के दौरान (प्रतिक्रिया), और हीट वेव के बाद (पुनर्प्राप्ति और समीक्षा) में भूमिकाएँ, जिम्मेदारियाँ और क्रियात्मक उपायों को रेखांकित करती हैं, जिसका उद्देश्य हीट से संबंधित प्रभावों को न्यूनतम करना और महत्वपूर्ण सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करना है।

SOPs को राज्य हीट एक्शन प्लान (HAP) और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप डिजाइन किया गया है। ये अंतर-विभागीय समन्वय, शीघ्र चेतावनी प्रसार, जन जागरूकता, स्वास्थ्य तैयारी और दीर्घकालिक लचीलापन निर्माण को बढ़ावा देते हैं। इन SOPs का पालन करके, विभाग सामूहिक रूप से समुदायों की रक्षा कर सकते हैं, मृत्यु और रोग की घटनाओं को कम कर सकते हैं और बदलते जलवायु में अत्यधिक गर्मी की घटनाओं से निपटने की राज्य की क्षमता को बढ़ा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश के लिए हीट वेव SOP का उद्देश्य विभिन्न राज्य विभागों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश, भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ स्थापित करना है, ताकि वे हीट वेव के प्रभावों की तैयारी, प्रतिक्रिया और शमन कर सकें। यह SOP विभाग-विशिष्ट कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों, आजीविका के खतरों को कम किया जा सके, संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित हो और अत्यधिक गर्मी की स्थितियों के दौरान प्रभावी प्रतिक्रिया का समन्वय किया जा सके। हीट वेव अत्यधिक मौसम की घटनाएँ हैं जो सार्वजनिक स्वास्थ्य, जल संसाधन, कृषि, ऊर्जा, परिवहन और अन्य क्षेत्रों पर गंभीर

परिणाम डाल सकती हैं। यह SOP भविष्य के लिए कार्रवाई के मार्ग हेतु सीख और पाठ्य सुधार को भी कवर करेगा।

औचित्य

हीट वेव पर मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) को विकसित करने का औचित्य इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि हीट वेव उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय आपात स्थिति के रूप में तेजी से पहचानी जा रही है। वैश्विक तापमान में वृद्धि और अत्यधिक गर्मी की बढ़ती घटनाओं के साथ, राज्य अधिक बार, लंबे और घातक हीट वेव का अनुभव कर रहा है, जो न केवल मानव जीवन को प्रभावित करती हैं बल्कि बुनियादी ढाँचे पर दबाव डालती हैं, आजीविका को बाधित करती हैं और स्वास्थ्य, जल, ऊर्जा और परिवहन जैसी आवश्यक सेवाओं को प्रभावित करती हैं। इनका प्रभाव विशेष रूप से कमजोर समूहों पर गंभीर होता है, जिनमें बुजुर्ग, बच्चे, गर्भवती महिलाएँ, स्तनपान कराने वाली माताएँ, बाहरी श्रमिक, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोग, विकलांग व्यक्ति और पूर्व-निर्धारित स्वास्थ्य स्थितियों वाले व्यक्ति शामिल हैं। इस संदर्भ में, एक संरचित, स्पष्ट रूप से परिभाषित SOP आवश्यक है ताकि ऐसे घटनाओं के लिए समय पर, संगठित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके।

SOP सभी सरकारी विभागों और हितधारकों के लिए एक समान ढाँचा प्रदान करता है ताकि वे हीट वेव से पहले, दौरान और बाद के चरणों में समन्वित तरीके से कार्य कर सकें। यह स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, शहरी विकास, शिक्षा, ग्रामीण विकास, सामाजिक कल्याण और अन्य विभागों सहित लाइन विभागों की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि तैयारी के उपाय लागू हों, शीघ्र चेतावनी प्रणाली कार्यात्मक हो, जन जागरूकता बढ़ाई जाए और महत्वपूर्ण सेवाएँ बनाए रखी जाएँ। ऐसे SOPs के बिना, प्रतिक्रियाएँ विलंबित, खंडित और अप्रभावी हो सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप अनावश्यक जीवन हानि और पीड़ा हो सकती है।

इसके अलावा, SOPs राज्य और जिला स्तर पर हीट वेव तैयारी और लचीलापन को संस्थागत बनाने में मदद करते हैं। वे डेटा-आधारित निर्णय लेने, अंतर-एजेंसी समन्वय और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देते हैं, जो कि जलवायु परिवर्तन के तहत हीट वेव के बढ़ते जोखिम के अनुकूलन के लिए आवश्यक है। यह सुनिश्चित करके कि सभी विभाग एक सामान्य दिशा-निर्देशों का पालन करें, SOP सरकारी हस्तक्षेप की जवाबदेही, दक्षता और प्रभाव को बढ़ाता है, जिससे व्यापक जलवायु लचीलापन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण लक्ष्यों में योगदान होता है।

तापमान प्रवृत्तियों का अवलोकन

भारत के उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में स्थित उत्तर प्रदेश ने पिछले कुछ दशकों में औसत और अत्यधिक तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया है, जिसका कारण मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन, तीव्र शहरीकरण और वनों की कटाई है। ऐतिहासिक रूप से अपने गर्म ग्रीष्म ऋतु के लिए प्रसिद्ध यह राज्य अब अधिक बार और तीव्र हीट वेव का सामना कर रहा है, जहाँ अधिकतम तापमान अक्सर चरम गर्मी के महीनों (अप्रैल से जून) के दौरान प्रयागराज (इलाहाबाद), कानपुर, बाँदा, झाँसी और आगरा जैसे कई जिलों में 45 डिग्री C से अधिक हो जाता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के आँकड़े बताते हैं कि पिछले 50 वर्षों में उत्तर प्रदेश में वार्षिक औसत तापमान लगभग 0.5–0.7C तक बढ़ा है, और हाल के दशकों में विशेष रूप से शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में यह बढ़ोतरी और भी तेज रही है।

हीट वेव दिनों की आवृत्ति—जिसे ऐसे दिन के रूप में परिभाषित किया गया है जब तापमान सामान्य से कम से कम 4.5 डिग्री C अधिक होकृस्पष्ट रूप से बढ़ी है। उदाहरण के लिए, 2000 से 2010 के बीच, उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हर वर्ष लगभग 4–8 हीट वेव दिन देखे गए, जबकि हाल के वर्षों (2015 के बाद) में यह संख्या बढ़कर 10–15 दिन हो गई है, और कुछ जिलों ने इससे भी लंबे और गंभीर दौर का अनुभव किया है। हीट वेव की शुरुआत का समय भी मौसम में पहले हो गया है, कभी-कभी मार्च की शुरुआत में ही, और इसकी अवधि लंबी हो गई है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढाँचे पर महत्वपूर्ण दबाव पड़ा है। घनी निर्माण, कंक्रीट सतहों और हरित आवरण के नुकसान के कारण उत्पन्न शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव ने लखनऊ, वाराणसी, झाँसी और मेरठ जैसे शहरों में तापमान की चरम सीमा को और बढ़ा दिया है।

दीर्घकाल में, जलवायु मॉडल यह प्रक्षेपित करते हैं कि यदि शमन उपाय लागू नहीं किए गए तो 2050 तक उत्तर प्रदेश में औसत ग्रीष्मकालीन तापमान में और 1.5–2.0C की वृद्धि हो सकती है। यह आजीविका, जल सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और खाद्य उत्पादन के लिए गंभीर जोखिम उत्पन्न करता है। इस प्रकार, इन तापमान प्रवृत्तियों को समझना हीट एक्शन प्लान (HAP) विकसित करने, शीघ्र चेतावनी प्रणालियों में सुधार करने और पूरे राज्य में शहरी नियोजन और ग्रामीण विकास नीतियों में जलवायु लचीलापन को एकीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण है।

प्रभावी हीटवेव प्रबंधन और प्रतिक्रिया में लाइन विभागों की भूमिका

उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में प्रभावी हीटवेव प्रबंधन के लिए एक समन्वित, बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण आवश्यक है, जिसमें प्रत्येक लाइन विभाग विशिष्ट मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) का पालन करके जोखिमों को कम करे, जीवन की रक्षा करें और निर्बाध सेवाएँ सुनिश्चित करे। हीटवेव पूर्व SOPs तैयारी और जोखिम न्यूनीकरण पर जोर देती हैं। स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, शिक्षा और पर्यावरण जैसे विभागों को हीटवेव सुरक्षा पर जन जागरूकता अभियान शुरू करने, पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने और सुरक्षात्मक बुनियादी ढाँचे (छाया, शीतल आश्रय) को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य विभागों को ORS, IV द्रव और दवाओं को पूर्व-स्थिति में रखना चाहिए, जबकि ग्रामीण और शहरी विकास विभागों को जल आपूर्ति बिंदुओं, छायादार बस स्टॉप और सामुदायिक जल स्रोतों की मरम्मत सुनिश्चित करनी चाहिए। शिक्षा विभागों को स्कूल समय में समायोजन करना चाहिए, बाहरी गतिविधियों को निलंबित करना चाहिए और शिक्षकों को हीट से संबंधित बीमारियों के लिए प्राथमिक चिकित्सा पर प्रशिक्षित करना चाहिए। कृषि और पशुपालन विभागों को किसानों और पशुपालकों को हीट स्ट्रेस न्यूनीकरण पर परामर्श जारी करना चाहिए। पर्यावरण और वन विभागों को वनाग्नि जोखिमों की निगरानी करनी चाहिए और शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव को कम करने के लिए वनीकरण अभियान लागू करना चाहिए।

सक्रिय हीटवेव चरण के दौरान, SOPs त्वरित प्रतिक्रिया, सेवा निरंतरता और जीवन सुरक्षा को प्राथमिकता देती हैं। स्वास्थ्य विभाग हीटस्ट्रोक रोगियों के उपचार में अग्रणी भूमिका निभाता है और चिकित्सा परामर्शों के बारे में नियमित बुलेटिन जारी करता है। आपातकालीन सेवाएँ और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अन्य विभागों के साथ मिलकर शीतलन केंद्र खोलते हैं, प्रतिक्रिया टीमों को तैनात करते हैं और चरम मामलों में आपातकालीन निकासी का प्रबंधन करते हैं। ऊर्जा विभाग को बाधाओं को रोकना चाहिए और अस्पतालों तथा जल आपूर्ति प्रणालियों को निर्बाध बिजली आपूर्ति बनाए रखनी चाहिए। समाज कल्याण और महिला एवं बाल विकास विभाग बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों जैसे कमजोर वर्गों की जाँच करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आंगनवाड़ी और वृद्धाश्रम शीतलन उपकरण और जलयोजन से सुसज्जित हों। अग्निशमन सेवाएँ अत्यधिक गर्मी से उत्पन्न आग पर प्रतिक्रिया देने के लिए उच्च सतर्कता पर रहती हैं। जिला प्रशासन, लाइन विभागों के समन्वय में, स्थानीय हीट एक्शन प्लान्स के कार्यान्वयन की देखरेख करते हैं, यह सुनिश्चित करते हैं कि सूचना जनता तक पहुँचे और आवश्यकता पड़ने पर कमांड सेंटर सक्रिय किए जाएँ।

हीटवेव के बाद के चरण में, SOPs प्रभाव आकलन, पुनर्प्राप्ति योजना और लचीलापन निर्माण को शामिल करती हैं। स्वास्थ्य विभाग मामलों और मृत्यु दर का दस्तावेज तैयार करता है, प्रवृत्तियों का विश्लेषण

करता है और भविष्य की तैयारी के लिए प्रोटोकॉल अपडेट करता है। राजस्व और राहत विभाग क्षति का आकलन करते हैं और हीटवेव से संबंधित मौतों या नुकसानों के लिए अनुग्रह अनुदान वितरित करते हैं। शहरी और ग्रामीण विभागों को हीट-संवेदनशील बुनियादी ढाँचे का निरीक्षण और सुदृढीकरण करना चाहिए, जबकि शिक्षा और WCD विभाग बच्चों और माताओं के लिए आउटरीच और सुरक्षात्मक उपायों की प्रभावशीलता की समीक्षा करते हैं। पर्यावरण और योजना विभाग शहरी नियोजन और जलवायु अनुकूलन रणनीतियों जैसे शीतल छत, जल-संवेदनशील परिदृश्य और लचीला आवास में हीटवेव से मिली सीख को एकीकृत करते हैं। सभी विभागों को अपनी कार्यक्षमता SDMA को रिपोर्ट करनी चाहिए, डिब्रीफिंग में भाग लेना चाहिए और सामने आए अंतरालों और चुनौतियों के आधार पर अपने आंतरिक SOPs को अपडेट करना चाहिए। समग्र रूप से, इन SOPs का पालन उत्तर प्रदेश भर में हीटवेव प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित और सक्रिय दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है।

हीट वेव SOP इस प्रकार डिजाइन की गई है कि लाइन विभाग और अन्य हितधारक आपदा चक्र के चरणों में अपनी मानक भूमिकाओं की पहचान कर सकें। उत्तर प्रदेश में हीट वेव के बढ़ते जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए, एक चरणबद्ध दृष्टिकोण आवश्यक है—जो हीट वेव पूर्व (तैयारी), हीट वेव के दौरान (प्रतिक्रिया) और हीट वेव के बाद (पुनर्प्राप्ति) चरणों को कवर करता है। प्रत्येक चरण में मानवीय, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों को न्यूनतम करने के लिए लाइन विभागों, स्थानीय निकायों और समुदायों द्वारा विशिष्ट कार्रवाइयाँ शामिल होती हैं। इन चरणों को समयरेखा के साथ इस प्रकार निर्दिष्ट किया गया है:

- हीट वेव पूर्व (तैयारी) – फरवरी-मार्च
- हीट वेव के दौरान (प्रतिक्रिया)– अप्रैल-जून
- हीट वेव के बाद (पुनर्प्राप्ति, जोखिम न्यूनीकरण) – जुलाई-जनवरी

हीट वेव मानदंड (IMD-आधारित)

हीट वेव को तब तक माना जाना चाहिए जब तक कि किसी स्टेशन का अधिकतम तापमान मैदानी क्षेत्रों के लिए कम से कम 40 डिग्री C और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 30 डिग्री C तक न पहुँच जाए।

सामान्य से विचलन के आधार पर:

- हीट वेव सामान्य से 4.5 डिग्री C से 6.4 डिग्री C तक का विचलन।
- गंभीर हीट वेव: सामान्य से >6.4 डिग्री C का विचलन।

वास्तविक अधिकतम तापमान के आधार पर:

- हीट वेव: जब वास्तविक अधिकतम तापमान ≥ 45 डिग्री C हो।

- गंभीर हीट वेव: जब वास्तविक अधिकतम तापमान ≥ 47 डिग्री C हो।

हीट वेव प्रबंधन में भूमिकाओं वाले विभाग/एजेंसियाँ

1. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
2. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
3. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
4. शहरी विकास विभाग
5. जल निगम/जल कल विभाग
6. शिक्षा विभाग
7. पशुपालन विभाग
8. विद्युत विभाग
9. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग
10. सिंचाई और जल संसाधन विभाग
11. कृषि विभाग
12. ग्रामीण विकास विभाग/पंचायती राज विभाग
13. परिवहन विभाग
14. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग
15. समाज कल्याण विभाग
16. महिला एवं बाल विकास विभाग
17. श्रम विभाग
18. अग्निशमन सेवा
19. यातायात पुलिस
20. नागरिक समाज संगठन (CSOs) /गैर-सरकारी संगठन (NGOs)/एजेंसियाँ

स्रोत: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग—<https://www.imd.gov.in>

उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

उद्देश्य

हीट वेव (लू) के प्रभावों को कम करने के लिए बहु-विभागीय प्रत्युत्तरों (Response) का समन्वय करना, पूर्व तैयारी, शमनात्मक नीतियों के नियोजन, प्रत्युत्तर, सार्वजनिक सुरक्षा और संसाधन प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना।

व्यापकता

उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में लागू होती है। उच्च जोखिम वाले जिलों (जैसे बुंदेलखंड क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर जैसे शहरी क्षेत्रों पर विशेष रूप से केन्द्रित) पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें कमजोर समुदायों (झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोग, दिहाड़ी मजदूर, बुजुर्ग, बच्चे, गर्भवती, स्तनपान कराने वाली महिलाएँ आदि) पर ध्यान दिया गया है।

हीट वेव मानदंड (भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र –आधारित)

- **पीला अलर्ट:** अधिकतम तापमान 36.7 डिग्री सेल्सियस–40.58 डिग्री सेल्सियस (प्रत्येक जिलों के अलग-अलग थ्रेशोल्ड के अनुरूप)।
- **नारंगी अलर्ट:** अधिकतम तापमान 39.09 डिग्री सेल्सियस–43.30 डिग्री सेल्सियस।
- **लाल अलर्ट:** अधिकतम तापमान 41.48 डिग्री सेल्सियस–45.34 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक।
- मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने पर हीट वेव घोषित किया जाता है, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस के अंतर पर होता है या तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाये तो सामान्य तापमान से कितना ज्यादा है इसकी तुलना नहीं की जाती।
- **जिला-वार लू थ्रेशोल्ड:** उत्तर प्रदेश ने 42 साल के तापमान विश्लेषण (1982–2023) के आधार पर 75 जिलों में से प्रत्येक के लिए तीन-स्तरीय रंग-कोडित चेतावनी प्रणाली (पीला: 36.7–40.58 डिग्री सेल्सियस, नारंगी: 39.09–43.30 डिग्री सेल्सियस, लाल: 41.48–45.34 डिग्री सेल्सियस) शुरू की। इससे स्थानीय स्तर पर पहले से चेतावनी देना संभव हो पायेगा।

प्रमुख कार्य एवं जिम्मेदारियाँ

- उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण: आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के अनुसार नियोजन, समन्वय, निगरानी और मार्गदर्शन के लिए प्राधिकृत एजेंसी। संबन्धित विभाग (स्वास्थ्य, शहरी

विकास, ग्रामीण विकास, शिक्षा, बाल विकास, श्रम, पंचायती राज, आदि): क्षेत्र-विशेष के कार्यों को क्रियान्वित करना।

- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण: जिला-स्तरीय योजनाओं को क्रियान्वित करना, क्षेत्र-स्तरीय समन्वय सुनिश्चित करना।

हीट वेव (लू) तैयारी से संबंधित कार्यवाही

- संसाधनों और सहायता को लक्षित करने के लिए जलवायु संबंधित आंकड़ों और जनसांख्यिकीय जानकारी का उपयोग करके उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करना।
- संचार, संसाधन आवंटन और सार्वजनिक सलाह, गतिविधियां, कार्य योजना सहित एक व्यापक हीट वेव (लू) कार्य योजना बनाने के लिए अन्य विभागों के साथ सहयोग करें।
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में डीडीएमए के माध्यम से हीट वेव (लू) की तैयारियों पर अभियान शुरू करें, जिसमें कमजोर समूहों (जैसे, बुजुर्ग, बच्चे और बाहरी कर्मचारी) पर ध्यान केंद्रित किया जाए।
- त्वरित तैनाती के लिए संबंधित विभागों के माध्यम से आपातकालीन किट, पानी की आपूर्ति और शीतलन संसाधनों को पहले से तैयार रखें।
- गर्मी (लू) से प्रभावित जिलों, शहरी हीट आइलैंड्स और उच्च जोखिम वाली आबादी जैसे कि बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, बच्चे और विकलांग व्यक्तियों की पहचान करने के लिए भेद्यता मानचित्रण (vulnerability mapping) का करें।
- निरंतर निगरानी और वास्तविक समय की जानकारी साझा करने को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय मौसम विभाग के सहयोग से एक समर्पित हीट वेव (लू) प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित करें।
- विभागीय तैयारियों और राज्य हीट एक्शन प्लान के पालन को बढ़ावा देने के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय करें।
- स्थानीय भाषाओं में अभियान चलाकर जन जागरूकता संदेश प्रसारित करें, जिसमें हीट वेव (लू) की रोकथाम, हीटस्ट्रोक के लक्षण और आपातकालीन प्रत्युत्तर पर ध्यान केंद्रित किया जाए, तथा हाशिए पर पड़े समूहों या कमजोर वर्ग समूहों सहित सभी समुदायों को लक्षित किया जाए।
- तैयारी और संसाधन जुटाने को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संगठनों के साथ साझेदारी विकसित करें।

- हीट वेव (लू) शमन और प्रतिक्रिया रणनीतियों पर जिला-स्तरीय अधिकारियों, प्रथम प्रत्युत्तरदाता और सामुदायिक स्वयंसेवकों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए इंडिया रेड क्रिसेंट सोसाइटी आदि के साथ समन्वय करें।
- गर्मी की आशंका वाले क्षेत्रों में ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट (ओआरएस), शीतलन सुविधाएं, छायादार विश्राम क्षेत्र और जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे सहित आवश्यक राहत आपूर्ति की पूर्व-स्थिति सुनिश्चित करने के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के साथ समन्वय करें।

हीट वेव (लू) के दौरान कार्यवाहियाँ

- राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (एसईओसी) को सक्रिय करना: प्रभावित क्षेत्रों में वास्तविक समय समन्वय और संसाधन तैनाती के लिए एसईओसी का संचालन करना।
- **हीट वेव (लू) चेतावनियाँ और अलर्ट:** विभिन्न चैनलों के माध्यम से हीट वेव (लू) चेतावनियाँ जारी करने के लिए मौसम विभाग के साथ सहयोग करना, समय पर सार्वजनिक और विभागीय अधिसूचनाएँ सुनिश्चित करना।
- **कूलिंग और हाइड्रेशन पॉइंट:** शहरी विकास और जल संसाधन विभागों के सहयोग से कूलिंग सेंटर और जल वितरण केंद्र स्थापित करना।
- **जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को निर्देश जारी करना:** एसडीआरएफ दिशानिर्देशों के अनुसार हीट वेव पीड़ितों को समय पर राहत सुनिश्चित करना।
- विभिन्न विभागों द्वारा हीट वेव (लू) राहत और शमन कार्यों के कार्यान्वयन की वास्तविक समय में निगरानी के लिए टीमों का गठन करना।

हीट वेव(लू) के बाद की कार्यवाहियाँ

- **मूल्यांकन और प्रतिपुष्टि:** सभी विभागों के साथ डीब्रीफिंग सत्र आयोजित करें, प्रत्युत्तर एवं प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें और लोगों के सुझाव एवं चुनौतियों को साझा करने का अवसर प्रदान करें। इस सत्र में संबन्धित विभागों द्वारा दिये गए **feedback** को संकलित कर उस पर अग्रिम कार्यवाही करें।

प्रतिवेदन और सिफारिशें: भविष्य में लू की तैयारी और प्रत्युत्तर में सुधार के लिए प्रत्युत्तर, चुनौतियों और सिफारिशों को सारांशित करते हुए एक कार्यवाही के बाद की रिपोर्ट विकसित करें।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

उद्देश्य

जिला स्तर पर तैयारी, प्रतिक्रिया और शमन कार्यों का समन्वय, क्रियान्वयन और निगरानी करना ताकि हीट वेव (लू) के जोखिम और प्रभावों को न्यूनतम किया जा सके।

व्यापकता

यह SOP उत्तर प्रदेश में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) के लिए ढांचा प्रस्तुत करता है ताकि हीट वेव के प्रभावों की तैयारी, प्रतिक्रिया और शमन किया जा सके। इसका उद्देश्य हीट से होने वाली बीमारियों और मृत्यु दर को कम करना, संवेदनशील आबादी की रक्षा करना और सरकारी एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों (NGO) और समुदायों के बीच समन्वित कायवाही सुनिश्चित करना है। यह SOP उत्तर प्रदेश हीट वेव एक्शन प्लान, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के दिशा-निर्देश और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुरूप है। इसमें रोकथाम, तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति चरण शामिल हैं, विशेष रूप से मार्च से जून तक और दुर्लभ मामलों में जुलाई तक अत्यधिक गर्मी से प्रभावित जिलों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह लागू होता है:

- DDMA के अधीन सभी सरकारी विभागों
- शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों
- स्वास्थ्य सेवाओं
- शैक्षणिक संस्थानों
- नागरिक समाज और NGOs
- संवेदनशील आबादी (जैसे बुजुर्ग, बच्चे, बाहरी श्रमिक, झुग्गी वासियों)

भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जसकी अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट करते हैं, जिला स्तर पर हीट वेव प्रबंधन प्रयासों के समन्वय के लिए जिम्मेदार है। मुख्य जिम्मेदारियाँ निम्नलिखित हैं:

तैयारी और योजना

- **जिला हीट एक्शन प्लान (HAP) विकसित करना:** हर साल जिला-विशिष्ट HAP तैयार और अपडेट करना, जिसमें अल्पकालिक उपाय (जैसे प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, सार्वजनिक अलर्ट) और दीर्घकालिक रणनीतियाँ (जैसे कूल रूफ, हरियाली बढ़ाना) शामिल हों।

- **जोखिम आकलन:** भारतीय मौसम विभाग (IMD) और स्थानीय स्वास्थ्य अभिलेखों के आंकड़ों का उपयोग करके हीट वेव-प्रवण क्षेत्रों और संवेदनशील आबादी (बुजुर्ग, बच्चे, बाहरी श्रमिक, झुग्गीवासी) की पहचान करना।
- **संसाधन मानचित्रण:** कूलिंग सेंटर, जल स्रोत, चिकित्सा सुविधाएँ और अग्निशमन उपकरणों की सूची तैयार रखना।
- **क्षमता निर्माण:** स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, स्थानीय प्रशासन और स्वयंसेवकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना ताकि हीट से संबंधित बीमारियों (जैसे हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन) की पहचान और इलाज किया जा सके।
- **जन जागरूकता:** प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से हीट वेव की रोकथाम संबंधी जानकारी (जैसे पानी पीना, दोपहर की धूप से बचना) का प्रचार करना

प्रारंभिक चेतावनी और संचार

- **IMD से सहयोग:** IMD से हीट वेव अलर्ट और पूर्वानुमान प्राप्त कर जनता तक पहुँचाने की व्यवस्था करना।
- **अलर्ट प्रसार:** SACHET मोबाइल एप्लिकेशन और अन्य प्लेटफॉर्म (SMS, रेडियो, सोशल मीडिया) का उपयोग करके हीट वेव चेतावनी और आवश्यक निर्देश देना।
- **अंतर-एजेंसी समन्वय:** राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA), स्वास्थ्य विभाग और NGOs से समन्वय कर त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना।

हीट वेव के दौरान प्रतिक्रिया

- **कूलिंग सेंटर सक्रिय करना:** स्कूलों और सामुदायिक भवनों में कूलिंग सेंटर स्थापित करना, जिनमें पानी, ORS और बुनियादी चिकित्सा सामग्री उपलब्ध हो।
- **स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी:** प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) और अस्पतालों को हीट से जुड़ी बीमारियों के इलाज के लिए तैयार करना।
- **पानी और राहत वितरण:** नगर निगम से समन्वय कर सार्वजनिक स्थलों पर पानी और छायादार जगहें उपलब्ध कराना।
- **स्कूल और कार्य समायोजन:** स्कूलों का समय बदलने या अत्यधिक गर्मी में बंद करने की सलाह देना और बाहरी श्रमिकों के कार्य समय सीमित करना (11 बजे से 4 बजे तक)।
- **निगरानी और रिपोर्टिंग:** स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से हीट से संबंधित मामलों का रिकॉर्ड रखना और SDMA को रिपोर्ट करना।

शमन और पुनर्प्राप्ति

- **बुनियादी ढाँचा विकास:** कूल रूफ, परावर्तक सड़कें, शहरी वृक्षारोपण जैसी दीर्घकालिक योजनाओं को बढ़ावा देना।
- **घटना-परांत समीक्षा:** हर हीट वेव के बाद प्रतिक्रिया की समीक्षा करना और HAP को अपडेट करना।
- **समुदाय की भागीदारी:** NGOs और समुदायों को शामिल कर टिकाऊ शीतलन समाधान (जैसे पैसिव कूलिंग तकनीक) और जागरूकता को बढ़ावा देना।

समन्वय और निगरानी

- SDMA के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना और स्वास्थ्य, लोक निर्माण, शिक्षा आदि विभागों के साथ समन्वय करना।
- **नियमित बैठकें:** गर्मी से पहले और बाद में समीक्षा बैठकें आयोजित करना और उपकरणों की तैयारी सुनिश्चित करना।

हीट वेव पूर्व कार्यवाही

- उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों और संवेदनशील आबादी की पहचान करना।
- राज्य हीट एक्शन प्लान और SOPs के अनुरूप जिला-विशिष्ट योजना विकसित करना।
- स्थानीय भाषाओं में जनजागरूकता अभियान चलाना।
- स्थानीय विभागों, NGOs, UN और व्यावसायिक संस्थानों से समन्वय कर संसाधन और लॉजिस्टिक तैयार करना।
- चिकित्सा आपूर्ति, जल केंद्र और कूलिंग स्पेस सुनिश्चित करना।
- दीर्घकालिक शहरी नियोजन उपायों (ग्रीन कॉरिडोर, पेड़ लगाना, रूफटॉप गार्डन) को बढ़ावा देना।
- IMD और UPSDMA से चेतावनी प्राप्त कर जनता तक पहुँचाना।
- मीडिया, मोबाइल अलर्ट, लाउडस्पीकर और गाँव स्तर पर चेतावनी प्रणाली का उपयोग करना।
- गंभीर चेतावनी पर बाहरी गतिविधियाँ सीमित करने और स्कूल समय बदलने जैसे प्रोटोकॉल लागू करना।
- स्कूलों, कॉलेजों और समुदायों में जागरूकता कार्यक्रम चलाना।

- निर्माण और कृषि जैसे क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए जल, विश्राम और कार्य समय में बदलाव के नियम लागू करना।

हीट वेव के दौरान कार्यवाही

- आपातकालीन टीमों को तैनात करना और राहत केंद्र स्थापित करना।
- स्थानीय संचार चौकियों से चेतावनी और निर्देश जारी करना।
- स्वास्थ्य विभाग से समन्वय कर अस्पतालों और केंद्रों में पर्याप्त स्टाफ और दवाएँ उपलब्ध कराना।
- कमजोर समूहों को कूलिंग सेंटर और अस्पताल पहुँचाने के लिए परिवहन सेवाएँ उपलब्ध कराना।
- निगरानी और डेटा संग्रह करना।
- सामुदायिक भवनों और स्कूलों में कूलिंग सेंटर स्थापित करना।
- बाजारों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अस्थायी जल केंद्र स्थापित करना।
- अस्पतालों और PHCs को पर्याप्त ORS और दवाओं से लैस करना।
- एम्बुलेंस और मेडिकल टीमों को हाई अलर्ट पर रखना।
- विभिन्न विभागों और NGOs से समन्वय कर सामूहिक प्रतिक्रिया लागू करना।
- उद्योगों और व्यवसायों को लचीली कार्य नीतियाँ अपनाने को प्रोत्साहित करना।

हीट वेव उपरांत कार्यवाही

- स्वास्थ्य और आपातकालीन टीमों के साथ प्रतिक्रिया की समीक्षा करना।
- चुनौतियों और कमियों का विश्लेषण कर भविष्य की योजना में शामिल करना।
- दीर्घकालिक पहल (जल आपूर्ति सुधार, ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर, हीट-प्रतिरोधी भवन कोड) को लागू करना।
- प्रभाव आकलन करना (स्वास्थ्य, ढाँचा और आर्थिक गतिविधियों पर)।
- प्रभावित समुदायों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करना।
- HAP और SOP को संशोधित और अपडेट करना।
- समुदायों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना और स्थानीय उपायों (पेड़ लगाना, जल केंद्र, कूल रूफ तकनीक) को बढ़ावा देना।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश

उद्देश्य

प्रभावी लोक स्वास्थ्य कार्यक्रम, समुचित चिकित्सकीय देखभाल और समय पर निवारक उपाय अपनाकर लू (गर्मी) से होने वाली बीमारियों एवं मृत्यु दर में कमी लाना।

व्यापकता

राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (डीडीएमए) के समन्वय में उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के तहत सभी स्वास्थ्य सुविधाओं, कर्मियों और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर लागू होता है।

लू (हीट वेव) मानदंड (भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र –आधारित)

- **पीला अलर्ट:** अधिकतम तापमान 36.7 डिग्री सेल्सियस–40.58 डिग्री सेल्सियस (प्रत्येक जिलों के अलग-अलग थ्रेशोल्ड के अनुरूप)।
- **नारंगी अलर्ट:** अधिकतम तापमान 39.09 डिग्री सेल्सियस–43.30 डिग्री सेल्सियस।
- **लाल अलर्ट:** अधिकतम तापमान 41.48 डिग्री सेल्सियस–45.34 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक।
- मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने पर हीट वेव घोषित किया जाता है, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस के अंतर पर होता है या तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाये तो सामान्य तापमान से कितना ज्यादा है इसकी तुलना नहीं की जाती।

भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ

- **राज्य स्वास्थ्य विभाग:** लू की चेतावनी के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ समन्वय करें, अस्पताल की तैयारी सुनिश्चित करें और सार्वजनिक स्वास्थ्य सलाह/एडवाइजरी जारी करें।
- **जिला स्वास्थ्य विभाग:** मानक संचालन प्रक्रिया लागू करें, लू से संबंधित मामलों की निगरानी करें और चिकित्सा आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
- **चिकित्सालय/क्लिनिक:** हीट स्ट्रोक वार्ड स्थापित करें, कर्मचारियों को प्रशिक्षित करें और दवाओं के लिए कोल्ड चेन बनाए रखें।

- **आशा/एएनएम कार्यकर्ता:** हीट वेव की रोकथाम के लिए सामुदाय में सभी तक जानकारियाँ एवं सेवायें उपलब्ध करायें।

हीट वेव (लू) तैयारी से संबंधित कार्रवाइयाँ

- **हीट वेव या लू से स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्प्रभावों के लिए जागरूकता अभियान:** लू से स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्प्रभावों या बीमारियों (जैसे, निर्जलीकरण, हीट स्ट्रोक) के लक्षणों को पहचानने, हाइड्रेशन के महत्व और सुरक्षात्मक उपायों पर अभियान शुरू करें।
- **राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के दिशानिर्देशों को शामिल करते हुए** हर साल मार्च तक कार्यशालाएँ आयोजित करें।
- **अस्पताल की तैयारी:** सुनिश्चित करें कि सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट (ORS) और हीट से संबंधित स्थितियों के लिए आवश्यक दवाएँ पर्याप्त मात्रा में और गुणवत्तायुक्त उपलब्ध हों।
- **स्वास्थ्य सुविधाओं में शीतलन केंद्र:** अस्पतालों में अस्थायी शीतलन केंद्र स्थापित करें, विशेष रूप से ज्यादा लू प्रभावित क्षेत्रों में तथा पर्याप्त वेंटिलेशन (हवा आने-जाने की सुविधा) सुनिश्चित करें।
- **हीट आइसोलेशन वार्ड की स्थापना:** सभी स्वास्थ्य सुविधाओं में हीट स्ट्रोक से पीड़ित रोगियों के लिए वार्ड/बिस्तर आवंटित करें।
- **मेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षण दें:** स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को लू-संबंधी बीमारियों की पहचान करने और उनका इलाज करने के लिए प्रशिक्षित करें और सुनिश्चित करें कि रोगियों की संख्या बढ़ने पर उससे निपटने के लिए प्रोटोकॉल लागू हों।
- **हीट वेव (लू) के अत्यधिक प्रकोप की स्थिति में,** जब रोगियों की संख्या सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की क्षमता से अधिक हो जाए, तो वॉर्ड/बिस्तर आवंटन हेतु निजी एवं कॉर्पोरेट अस्पताल प्रबंधन के साथ समन्वय स्थापित किया जाए। इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया जाए।
- **हीट वेव (लू) के दौरान की जाने वाली कार्रवाइयाँ: आपातकालीन चिकित्सा सेवाएँ:** लू संबंधी आपात स्थितियों पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए, विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में, एम्बुलेंस की उपलब्धता एवं संख्या बढ़ाएँ।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य सलाह/एडवाइजरी कार्रवाई योग्य सुझावों के साथ समय-समय पर** स्वास्थ्य सलाह जारी की जाए, जैसे दोपहर अथवा अत्यधिक तापमान के समय बाहरी

गतिविधियों से बचना, पर्याप्त जलयोजन बनाए रखना, और कूलिंग सेंटर के स्थानों की जानकारी उपलब्ध कराना।

- **निगरानी और रिपोर्टिंग:** गर्मी से सम्बंधित बिमारियों और मौतों पर नजर रखने के लिए एक निगरानी प्रणाली विकसित करें ताकि तुरंत कार्रवाई (Response) किया जा सके और लोगों को स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में सूचित किया जा सके।
- **अस्पतालों की क्षमता वृद्धि:** लू के मामलों के प्रबंधन हेतु अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाएँ।
- **मोबाइल मेडिकल वैन की तैनाती:** अत्यधिक प्रभावित एवं उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल वैन तैनात करें।
- **आईडीएसपी के माध्यम से निगरानी:** एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) के माध्यम से लू से संबंधित बीमारियों के आंकड़ों की निगरानी करें।

हीट वेव(लू) के बाद की जाने वाली कार्रवाइयाँ

- सार्वजनिक स्वास्थ्य पर हीट वेव (लू) के प्रभावों का विश्लेषण करें और संसाधन आवंटन और सुधार के क्षेत्रों के लिए सुझाव सहित एक रिपोर्ट तैयार करें।
- बुनियादी ढांचे, कौशल और क्षमताओं की कमी का आकलन और समीक्षा करें और उसमें सुधार करने तथा कमियों को पूरा करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट भेजें।
- जुलाई तक हीट-सम्बंधित बीमारी और मृत्यु दर के आंकड़ों को संकलित करें।
- कार्रवाई (Response) प्रतिक्रिया प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित करें।
- जो पिछले लू के दौरान सीखें मिली है, सफलता मिली है उन सबका संकलन कर मौसम विज्ञान विभाग/उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की द्वारा निर्धारित जिलों के लू थ्रेशोल्ड के आधार पर मानक संचालन प्रक्रिया को अद्यतन करें।

नगर विकास विभाग एवं नगर निगम

उद्देश्य:

यह सुनिश्चित करना कि नगरीय क्षेत्रों में सभी निवासियों को वे सभी सार्वजनिक सुविधाएँ उपलब्ध हो जिससे अत्यधिक गर्मी/हीट वेव (लू) से पर्याप्त सुरक्षा मिल सके।

व्यापकता

यह मानक संचालन प्रक्रिया उत्तर प्रदेश के सभी शहरी स्थानीय निकायों पर लागू होता है, जिसमें 17 नगर निगम, 200 नगर परिषद और 517 नगर पंचायतें शामिल हैं, जो नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। इसमें बुनियादी ढांचे, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामुदायिक पहुंच पर ध्यान केंद्रित करते हुए, हीट वेव (लू) से निपटने के लिए सक्रिय और प्रतिक्रियात्मक उपायों की रूपरेखा दी गई है।

हीट वेव मानदंड (भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र-आधारित)

- **पीला अलर्ट:** अधिकतम तापमान 36.7 डिग्री सेल्सियस–40.58 डिग्री सेल्सियस (प्रत्येक जिलों के अलग-अलग थ्रेशोल्ड के अनुरूप)।
- **नारंगी अलर्ट:** अधिकतम तापमान 39.09 डिग्री सेल्सियस–43.30 डिग्री सेल्सियस।
- **लाल अलर्ट:** अधिकतम तापमान 41.48 डिग्री सेल्सियस–45.34 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक।
- मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने पर हीट वेव घोषित किया जाता है, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस के अंतर पर होता है या तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाये तो सामान्य तापमान से कितना ज्यादा है इसकी तुलना नहीं की जा सकती।

भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ

नगर विकास विभाग

- कूल रूफ, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और जलापूर्ति संवर्द्धन जैसी हीट वेव (लू) शमन परियोजनाओं के लिए स्थानीय नगर निकायों को अनुदान उपलब्ध कराना।
- हीट वेव (लू) कार्य योजनाओं की देखरेख करने और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियमित समीक्षा करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करना।
- एकीकृत हीट वेव (लू) प्रत्युत्तर (Response) के लिए स्वास्थ्य, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन जैसे विभागों के साथ सहयोग करना।

नगर निगम

जल आपूर्ति प्रबंधन

- शहरी क्षेत्रों, बाजारों, चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर निरंतर स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- पानी के पंपों, पाइपलाइनों और हैंडपंपों की मरम्मत और रखरखाव करें, पानी की कमी वाले क्षेत्रों में क्लोरीन की गोलियाँ वितरित करें।
- पानी की कमी वाले क्षेत्रों में पानी के टैंकर उपलब्ध कराएँ और सार्वजनिक क्षेत्रों में वाटर कूलर स्थापित करें।

सार्वजनिक अवसंरचना

- सतह की गर्मी को कम करने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव करें।
- पार्को और सार्वजनिक स्थानों पर छायादार स्थान विकसित कर लोगों को उपलब्ध कराएँ।
- हीट वेव (लू) सुरक्षा संदेशों के लिए स्मार्ट सिटी एलईडी स्क्रीन और चौक-चौराहों पर स्थापित लाउडस्पीकर के माध्यम से सुरक्षा संदेश प्रसारित करें।

हरित पहल

- शहरी क्षेत्रों में कूल रूफ कार्यक्रम लागू करें और हरितावरण बढ़ाएँ।
- जल निकायों का कायाकल्प करें और शहरी नियोजन में हरित उपायों को शामिल करें।

जागरूकता अभियान

- हीट वेव (लू) से सुरक्षा के लिए सभी नगरवासियों को शिक्षित करने के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाएँ।
- सभी तक पहुँच बनाने के लिए गैर सरकारी संगठनों और सामुदायिक संगठनों के साथ मिलकर कार्य करें।

मानक संचालन प्रक्रियाएँ

हीट वेव (लू) तैयारी से संबंधित कार्रवाइयाँ

- ठंडे एवं छायादार स्थानों की व्यवस्था: पार्को, बस स्टॉप, बाजार क्षेत्रों एवं सार्वजनिक स्थलों पर ठंडे या छायादार विश्राम स्थलों की व्यवस्था करें। साथ ही, पेयजल केंद्र (ड्रिंकिंग वाटर स्टेशन्स) स्थापित करें।

- **सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम:** हीट वेव (लू) से बचाव के उपाय, सावधानियों और उपलब्ध स्वास्थ्य एवं राहत सुविधाओं की जानकारी के लिए व्यापक सार्वजनिक जागरूकता अभियान संचालित करें।
- **जल और जल निकासी व्यवस्था का निरीक्षण:** गर्मी के मौसम में बुनियादी सेवाओं में किसी प्रकार की रुकावट न हो, इसके लिए जल आपूर्ति लाइनों, जल निकासी प्रणाली और विद्युत आपूर्ति का पूर्व निरीक्षण एवं आवश्यक मरम्मत कार्य समय रहते पूर्ण करें।
- **हीट वेव (लू) के दौरान यातायात के सुचारु:** प्रबंधन के लिए यातायात पुलिस और शहर पुलिस के साथ विशेष रूप से भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों के लिए यातायात प्रोटोकॉल तैयार करें जिससे यात्रियों को देर तक जाम का सामना न करना पड़े। जिन चौक-चौराहों पर ट्राफिक लाइट है उसे रेगुलेट करें जिससे यात्रियों को गर्मी के उच्चतम समयों में देर तक रुकना न पड़े।

हीट वेव (लू) के दौरान कार्रवाइयाँ

- **सार्वजनिक शीतलन केंद्रों का संचालन:** सुनिश्चित करें कि सभी शीतलन केंद्र सुचारु रूप से सक्रिय हैं। वहां प्रशिक्षित स्टाफ की तैनाती की जाए, जो हीट वेव (लू) के दौरान आमजन को सहायता प्रदान करें।
- **सार्वजनिक स्वच्छता और पेयजल व्यवस्था:** घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पानी वितरित करें और सार्वजनिक स्थानों पर प्याऊ/जलयोजन केंद्र स्थापित करें।
- **सार्वजनिक क्षेत्रों की निगरानी:** अधिक भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाएँ और यदि संभव हो तो सड़क किनारे दुकान लगाने वाले या रेहड़ी-पटरी वाले दूकानदारों के लिए पानी की उपलब्धता और छायादार स्थानों की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
- **यात्री प्रतीक्षा स्थलों पर छायादार व्यवस्था:** जहाँ ट्रैफिक सिग्नल के लिए यात्रीगण प्रतीक्षा करते हैं, वहाँ टेंट लगायें या छाया करने के लिए व्यवस्था करें, विशेष रूप से भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में।
- **नागरिक समाज एवं कॉर्पोरेट संस्थानों के साथ समन्वय:** उचित सुरक्षा व्यवस्था के साथ प्याऊ स्थापित करने के लिए नागरिक समाज संगठनों/कॉर्पोरेट संस्थानों के साथ समन्वय करें।
- **शिकायत निवारण और सार्वजनिक फीडबैक प्रणाली:** शिकायत निवारण और सार्वजनिक प्रतिपुष्टि के लिए शहरी हीट वेव (लू) नियंत्रण कक्ष (यदि संभव हो तो वार्ड वार) सक्रिय/स्थापित करें जहां नागरिक अपनी शिकायतें, समस्याएँ व सुझाव दर्ज करायें।

- **सफल पहलों का प्रचार-प्रसार:** सफल क्रिया-कलापों, प्रचलित व अच्छे कार्यक्रमों और तैयारियों को प्रोत्साहित करने और प्रचारित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करें। साथ ही हीट वेव (लू) को कम करने के लिए सरकार द्वारा की गई सुविधाओं और पहलों को प्रदर्शित व प्रचारित करें।

हीट वेव (लू) के बाद की कार्यवाहियाँ

- **फीडबैक संग्रह:** सुविधा की उपलब्धता और प्रभावशीलता पर निवासियों से फीडबैक एकत्र करना।
- **शहरी ताप तन्थकता योजना:** भविष्य की शहरी योजना में हरित स्थान, परावर्तक निर्माण सामग्री और अन्य ताप-घटाने वाले बुनियादी ढाँचे को एकीकृत करना।

नवीन उपाय

- **कूल रूफ:** इनडोर (कक्ष के अंदर) तापमान को कम करने में लखनऊ में किए जा रहे पायलट की सफलता के बाद, सभी स्थानीय नगर निकायों तक कूल रूफ कार्यक्रम का विस्तार करना चाहिए।
- **ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर:** नगरीय ऊष्मा द्वीप प्रभावों को कम करने के लिए टियर 2 और टियर 3 शहरों में शहरी वन और पानी रिसने योग्य सतहों (पारगम्य सतहों) का विकास अनिवार्य करना चाहिए।
- **निष्क्रिय शीतलन:** जलवायु परिवर्तन से संबन्धित अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी) द्वारा अनुशंसित प्राकृतिक रूप से हवादार इमारतों के लिए प्राचीन भारतीय वास्तुशिल्प डिजाइनों को शामिल किया जाना।
- **स्मार्ट सिटी एकीकरण:** हीट वेव (लू) के दौरान वास्तविक समय निगरानी और संचार के लिए स्मार्ट सिटी प्रौद्योगिकियों/तकनीकों का लाभ उठाना।

निगरानी और जवाबदेही

- **नोडल अधिकारी:** राज्य, जिला और नगर निगम के नोडल अधिकारियों द्वारा नियमित रिपोर्टिंग के माध्यम से जवाबदेही सुनिश्चित करना।
- **सार्वजनिक डैशबोर्ड:** पारदर्शी डैशबोर्ड के माध्यम से हीट वेव (लू) से बचाव के कार्यक्रम, हरित आवरण और जल आपूर्ति आदि पर प्रगति की निगरानी करना।
- **सहयोग:** समन्वित कार्यान्वयन के लिए गैर सरकारी संगठनों, शोध व अनुसंधान करने वाले संस्थानों और निजी क्षेत्रों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देना।

जल निगम, उत्तर प्रदेश

उद्देश्य

हीट वेव (लू) से संबंधित बीमारियों को कम करने और भविष्य में हीट वेव (लू) से प्रभावी रूप से निपटने के लिए एक सुरक्षित तंत्र विकसित करना। इसके अंतर्गत, हीट वेव (लू) के मौसम से पूर्व ही बुनियादी ढांचे और जल सुरक्षा की तैयारी सुनिश्चित करना, ताकि सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराई जा सके।

व्यापकता

यह मानक संचालन प्रक्रिया भारत मौसम विज्ञान विभाग के मानदंडों (जैसे मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या सामान्य से 45 डिग्री सेल्सियस अधिक) के अनुसार घोषित हीट वेव (लू) की स्थिति के दौरान लागू होगी। यह उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा संचालित सभी परियोजनाओं—जैसे शहरी एवं ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं, सीवरेज प्रणालियां तथा जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित परियोजनाएं समान रूप से प्रभावी होगी।

हीट वेव मानदंड (भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र—आधारित)

- **पीला अलर्ट:** अधिकतम तापमान 36.7 डिग्री सेल्सियस–40.58 डिग्री सेल्सियस (प्रत्येक जिलों के अलग-अलग थ्रेशोल्ड के अनुरूप)।
- **नारंगी अलर्ट:** अधिकतम तापमान 39.09 डिग्री सेल्सियस–43.30 डिग्री सेल्सियस।
- **लाल अलर्ट:** अधिकतम तापमान 41.48 डिग्री सेल्सियस–45.34 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक।
- मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने पर हीट वेव घोषित किया जाता है, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस के अंतर पर होता है या तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाये तो सामान्य तापमान से कितना ज्यादा है इसकी तुलना नहीं की जा सकती।

भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ

- **उत्तर प्रदेश जल निगम मुख्यालय (लखनऊ):** उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जिला अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करना, निर्देश जारी करना, कार्यान्वयन की निगरानी करना।
- **क्षेत्रीय/जिला कार्यालय:** स्थानीय स्तर पर मानक संचालन प्रक्रिया को क्रियान्वित करना,

समस्याओं को रिपोर्ट करना और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के साथ संपर्क बनाए रखना।

- **फील्ड स्टाफ (इंजीनियर, तकनीशियन, कार्मिक):** परिचालन उपायों को लागू करना, जमीनी चुनौतियों की रिपोर्ट तैयार करना और सुरक्षा प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करना।

मानक संचालन प्रक्रिया

हीट वेव (लू) तैयारी से संबंधित कार्यवाही

- स्पेयर पार्ट्स का भंडारण और न्यूनतम कर्मचारियों के साथ त्वरित प्रतिक्रिया दल का निर्माण करना जिसमें एक जूनियर इंजीनियर (टीम लीडर), प्लंबर, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, परीक्षण किट और नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति/टीम के साथ जल गुणवत्ता तकनीशियन, ईंधन से भरे वाहन के साथ फिटर आदि शामिल होंगे। टीमों की संख्या स्थिति की गंभीरता और टीम द्वारा आच्छादित किए जाने वाले भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर तय की जा सकती है। टीम का प्रतिक्रिया समय 2 से 3 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए।
- ओवरलोडेड वाटर पॉइंट की पहचान करना और स्पेयर पार्ट्स की पहले से व्यवस्था करना तथा स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण देना जो नियमित अंतराल पर रखरखाव और छोटी-मोटी मरम्मत कर सकें। यह उन क्षेत्रों के अति आवश्यक है जहां पर आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता। मार्च/अप्रैल में हीटवेव की शुरुआत से ठीक पहले सामान्य रूप से सभी वाटर पॉइंट और विशेष रूप से हॉटस्पॉट क्षेत्रों में प्राथमिक तौर पर रखरखाव व मरम्मत किया जाना चाहिए।
- नालियों को साफ रखें और लोगों को घरेलू जल उपचार (सूक्ष्मजीव संदूषण को दूर करने के लिए) के बारे में जागरूक करें। हीट वेव (लू) के दौरान इसे और भी सुनिश्चित किया जाए।
- जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों (अक्सर झुग्गी-झोपड़ियाँ, शुष्क ग्रामीण क्षेत्र) का मानचित्र बनाएँ।
- जल आपूर्ति पाइपलाइनों, ट्यूबवेल, पम्पिंग स्टेशनों और हैंडपंपों का मौसम-पूर्व रखरखाव व मरम्मत करें।
- ओवरहेड टैंकों, जलाशयों और पुनर्भरण में प्रयोग होने वाले उपकरणों की जाँच करें।
- एकल-स्रोत निर्भरता वाले क्षेत्रों के लिए आपातकालीन टैंकर आपूर्ति की तैयारी करें।
- जल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए क्लोरीन और शुद्धिकरण उपकरण का भंडारण करें।
- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और स्थानीय शहरी निकायों के साथ समन्वय करने के लिए जिला मुख्यालयों के लिए दिशा-निर्देश जारी करें।
- भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसमी चेतावनी के साथ हीट वेव (लू) के समय के लिए जलापूर्ति

प्रत्युत्तर (Response) योजना विकसित करें।

- नगर पालिकाओं के माध्यम से (पोस्टर, मीडिया के अन्य माध्यमों से, मोहल्ला/वार्ड आदि में घोषणाएँ) के माध्यम से जल संरक्षण उपायों को बढ़ावा दें।

हीट वेव (लू) के दौरान कार्यवाहियाँ

- निरंतर जल आपूर्ति बनाए रखें, खास तौर पर जब गर्मी अपने चरम पर होती है (सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक)।
- लू से प्रभावित शहरी और ग्रामीण इलाकों में मोबाइल वाटर टैंकर चालू करें।
- अस्पतालों, बस स्टैंड, बाजारों आदि में कार्यात्मक सार्वजनिक पेयजल बूथ (प्याऊ, पानी के काउंटर) सुनिश्चित करें।
- तैयारी के अवधि के दौरान नियोजित त्वरित प्रतिक्रिया दल को छोटे-बड़े सभी तरह के मरम्मत के कार्यों के लिए सक्रिय करें।
- प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से निरंतर लोगों को सूचनाएँ देते रहें कि “पानी की आपूर्ति में किसी भी समस्या के मामले में किससे और कैसे संपर्क करें” समस्याओं के समाधान के लिए कॉल सेंटर जैसा कुछ स्थापित करें जो प्राप्त शिकायत के अनुसार त्वरित प्रतिक्रिया दल को सूचना देकर उन्हें तैनात कर सकता है। प्रत्येक जिले/ब्लॉक में नियंत्रण कक्ष में व्यक्ति की समय वार तैनाती करें।
- सुनिश्चित करें कि पशुधन व अन्य जीवों को हीट वेव (लू) के दौरान (गांवों और शहरी क्षेत्रों के लिए) जीवित रहने के लिए पानी सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त और पर्याप्त जल जल-निकायों में पानी उपलब्ध हों।
- नालियों को साफ रखें और लोगों को घरेलू जल उपचार (सूक्ष्मजीव संदूषण को दूर करने के लिए) के बारे में जागरूक करें।

आपात स्थितियों के दौरान के कार्य

- किसी भी खराबी (जैसे, पाइप फटना, मोटर खराब होना) को कम से कम समय के भीतर तेजी से ठीक करना।
- झुग्गी-झोपड़ियों, गरीब समुदाय की कॉलोनियों, दूरस्थ गांवों पर विशेष ध्यान देना।
- बाजारों, बस स्टॉप और रेलवे स्टेशनों जैसे भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर पीने के पानी के स्टेशन स्थापित करने के लिए सार्वजनिक जल (प्याऊ) की स्थापना करना।

- नगर निकायों के साथ मिलकर छायादार स्थानों का निर्माण करना जहां पर पीने का पानी भी उपलब्ध हो।
- आपातकालीन जल आपूर्ति समन्वय, आकस्मिक योजनाओं के लिए आपदा प्रबंधन से संबंधित अधिकारियों के साथ काम करना।
- बार-बार पानी की गुणवत्ता की जांच करना, ताकि संदूषण/संक्रमण और डायरिया तथा हैजा जैसी जल-जनित बीमारियों को रोका जा सके। जल-जनित बीमारियों को कम करने और नियंत्रित करने के लिए आवश्यकतानुसार जल स्रोतों का क्लोरीन के माध्यम से उपचार करना।
- पूर्वानुमानित गर्मी 'लू की लहरों के दौरान बढ़ती मांग के लिए तैयार रहने के लिए मौसम विज्ञान विभागों के साथ सहयोग करना।
- पर्याप्त जल प्रावधान के साथ गर्मी-प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए शहरी नियोजन में भागीदारी करना।
- पेयजल आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने के लिए उद्योगों द्वारा अत्यधिक जल उपयोग की निगरानी हेतु उद्योग विनियमन लागू करना।

अनुश्रवण

- पानी की गुणवत्ता और मात्रा की वास्तविक समय पर निगरानी।
- जल-जनित बीमारियों को रोकने के लिए जल भंडारण स्थानों का नियमित रूप से कीटाणुशोधन

शिकायत निवारण

- जल की कमी या संदूषण से संबंधित शिकायतों के लिए हेल्पलाइन स्थापित व संचालित करें।

हीट वेव (लू) के बाद की कार्यवाहियाँ

- क्षति का आकलन: हीट वेव (लू) के दौरान बुनियादी ढांचे पर क्षति या अत्यधिक भार पड़ने का मूल्यांकन करें (जैसे, अधिक समय तक काम करने वाले पंप, फटे पाइप)।
- जल स्रोतों का नवीनीकरण/मरम्मत: क्षतिग्रस्त जल स्रोतों/संपत्तियों की मरम्मत करें और जल स्रोतों को फिर से भरें।
- आकलन के आधार पर, स्रोतों की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालिक उपाय किए जाएं, ताकि हीट वेव (लू) के दौरान जल स्रोतों में हस्तक्षेप की आवश्यकता न्यूनतम रह सके।

- पानी की कमी वाले क्षेत्रों में भीषण गर्मियों के दौरान पीने के पानी के स्रोत सूखने से रोकने के लिए, उन गतिविधियों को रोका जा सकता है जो पीने के पानी की गुणवत्ता सुधारने के नाम पर जल का अत्यधिक दोहन करती हैं। यह कार्रवाई हीट वेव (लू) के आने से पहले ही की जानी चाहिए।
- पानी के संयुक्त उपयोग को बढ़ावा दें – विभिन्न उद्देश्यों के लिए उनकी उपयुक्तता (गुणवत्ता और मात्रा और बिना/न्यूनतम उपचार के उपलब्धता) के अनुसार विभिन्न जल स्रोतों का उपयोग करें।
- जल निकायों की सुरक्षा के लिए प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू करें।

दस्तावेजीकरण और रिपोर्टिंग

- हीट वेव (लू) के दौरान जल आपूर्ति करने में उत्पन्न समस्याओं और किए गए शमनात्मक उपायों पर शहरी विकास विभाग/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
- वर्षा जल संचयन पुनरुद्धार जैसे दीर्घकालिक उपायों को लागू करने के लिए योजना तैयार कर उच्च स्तर के पटल पर विचार के लिए रखें। केन्द्रीकृत जल भंडारण सृजन (जैसे सामुदायिक टैंक) ताप-प्रतिरोधी जल आपूर्ति अवसंरचना परियोजनाएं विकसित करें।

शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश

उद्देश्य

विद्यालयों में शिक्षण कार्य की निर्बाधता एवं निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए छात्रों, शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों सहित विद्यालय प्रबंधन पर हीट वेव (लू) के प्रभाव को न्यूनतम करना।

व्यापकता

उत्तर प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होता है। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी अलर्ट के माध्यम से पहचाने गए उच्च जोखिम वाले जिलों (जैसे बुंदेलखंड, पूर्वांचल, मध्य यूपी) पर ज्यादा जोर दिया गया है।

हीट वेव मानदंड (भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र –आधारित)

- **पीला अलर्ट:** अधिकतम तापमान 36.7 डिग्री सेल्सियस–40.58 डिग्री सेल्सियस (प्रत्येक जिलों के अलग-अलग थ्रेशोल्ड के अनुरूप)।
- **नारंगी अलर्ट:** अधिकतम तापमान 39.09 डिग्री सेल्सियस–43.30 डिग्री सेल्सियस।
- **लाल अलर्ट:** अधिकतम तापमान 41.48 डिग्री सेल्सियस–45.34 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक।
- मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने पर हीट वेव घोषित किया जाता है, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस के अंतर पर होता है या तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाये तो सामान्य तापमान से कितना ज्यादा है इसकी तुलना नहीं की जा सकती है।

भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ

- विद्यालय प्रमुख/प्रधानाचार्य/शैक्षणिक संस्थान के प्राधिकारी
- शिक्षक और प्रशासनिक कर्मचारी
- बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) और जिला शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान समन्वयक
- छात्र और उनके माता-पिता/अभिभावक

हीट वेव (लू) तैयारी से संबंधित कार्यवाहियाँ

- गर्मी या लू से बचाव के लिए विद्यालयों में क्या करें और क्या न करें, इसकी जानकारी प्रसारित करें।
- अत्यधिक गर्मी के दौरान विद्यालय के समय (सुबह की पाली) को संशोधित करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करें।

- विद्यालयों—आधारित हीटवेव (लू) तैयारी योजनाएँ विकसित करें और उन्हें लागू करें।
- छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को लक्षित करते हुए हीटवेव (लू) सुरक्षा पर शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित करें।
- प्राकृतिक छाया विकसित करने के लिए विद्यालय परिसर में और उसके आसपास वृक्षारोपण को बढ़ावा दें।
- विद्यालय भवनों में सौर ऊर्जा से चलने वाली शीतलन प्रणाली (cooling system) जैसे वैकल्पिक ऊर्जा समाधानों को एकीकृत करें।

हीट वेव (लू) के दौरान कार्यवाहियाँ:

- अधिकारियों द्वारा जारी की गई हीट वेव (लू) की चेतावनी (भारतीय मौसम विज्ञान विभाग व उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी की गई प्रारंभिक चेतावनी) के अनुसार विद्यालय का समय पुनर्निर्धारित करें।
- सुनिश्चित करें कि भीषण गर्मी के (दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक) के दौरान कोई बाहरी गतिविधि न हो।
- गर्मी (लू) से प्रभावित छात्रों के लिए तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराएं।
- सभी विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल और हाइड्रेशन स्टेशनों की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
- हवा के लिए पंखे और छायादार व ठंडे बाहरी स्थानों के लिए अस्थायी शीतलन उपायों जैसे बिजली चालित कूलर आदि को स्थापित करें।
- विद्यालयों में ओआरएस पैकेट का स्टॉक करने के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और स्वास्थ्य विभाग के समन्वय के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश जारी करें।

हीट वेव(लू) के बाद की कार्यवाहियाँ

- विद्यालय की तैयारियों का आकलन करें और हीटवेव (लू) प्रत्युत्तर (response) में सुधार लाने के क्षेत्रों की पहचान करें।
- बेहतर वेंटिलेशन और इन्सुलेशन के साथ गर्मी के अनुकूल विद्यालय के बुनियादी ढांचे को डिजाइन करें तथा दीर्घकालिक तैयारियों के लिए विद्यालय के पाठ्यक्रम में जलवायु परिवर्तन और हीटवेव (लू) जागरूकता को शामिल करें।
- विद्यालयों में गर्मी प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के निर्माण में स्थानीय कारपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी/नगर समाज संगठनों द्वारा सहायता प्राप्त करने एवं समन्वयित करने के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों को अधिकृत करें।

पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश

उद्देश्य

प्रभावी तरीके से पशुधन की देखभाल उनका प्रबंधन एवं चिकित्सा देखभाल और निवारक उपाय प्रदान करके एवं जागरूकता के माध्यम से लू या गर्मी से संबंधित बीमारियों और मृत्यु दर को कम करना।

व्यापकता

मानक संचालन प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में किसानों और पशुपालकों द्वारा प्रबंधित सभी पशुधन, जिसमें मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी और मुर्गी शामिल हैं, पर लागू होता है। इसे जिला पशुपालन अधिकारियों और उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के समन्वय में पशुपालन विभाग के राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों के साथ लागू किया जाता है।

हीट वेव मानदंड (भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र –आधारित)

- **पीला अलर्ट:** अधिकतम तापमान 36.7 डिग्री सेल्सियस–40.58 डिग्री सेल्सियस (प्रत्येक जिलों के अलग-अलग थ्रेशोल्ड के अनुरूप)।
- **नारंगी अलर्ट:** अधिकतम तापमान 39.09 डिग्री सेल्सियस–43.30 डिग्री सेल्सियस।
- **लाल अलर्ट:** अधिकतम तापमान 41.48 डिग्री सेल्सियस–45.34 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक।
- मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने पर हीट वेव घोषित किया जाता है, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस के अंतर पर होता है या तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाये तो सामान्य तापमान से कितना ज्यादा है इसकी तुलना नहीं की जाती।

प्रमुख कार्य एवं जिम्मेदारियाँ

आश्रय और पर्यावरण प्रबंधन

- **छाँव का प्रावधान:** सुनिश्चित करें कि सभी पशुओं को छायादार क्षेत्रों या आश्रयों की उपलब्धता हो, ताकि वे सीधे सूर्य के प्रकाश के संपर्क में न आएं। गर्मी को कम करने के लिए मवेशियों के शेड को फूस, गन्ने की पत्तियों, पुआल या तिरपाल जैसी सामग्री से ढंकना चाहिए।
- **वेंटिलेशन:** गर्मी को कम करने के लिए अच्छी तरह हवादार आश्रय बनाए रखें। नमी के स्तर को संतुलित बनाए रखने के लिए जहाँ संभव हो पंखे या प्राकृतिक वायुप्रवाह का उपयोग करें।

- **ठंडा करने की तकनीक:** जानवरों, विशेष रूप से भैंसों को, अत्यधिक गर्मी के समयों के दौरान शरीर के तापमान को कम करने के लिए गीले बोरों या नम कपड़ों से ढकें।

पर्याप्त पानी और पोषण

- **जल आपूर्ति:** दुधारू पशुओं को प्रतिदिन कम से कम पाँच बार और अन्य पशुओं को प्रतिदिन दो बार स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराएँ। पानी के साथ चारा मिलाकर या निर्जलित पशुओं के लिए ओआरएस का उपयोग करके पानी के सेवन को प्रोत्साहित करें।
- **आहार समायोजन:** पोषण बनाए रखने के लिए ठंडे समयों में प्रोटीन युक्त चारा दें। पाचन तनाव को रोकने के लिए ज्यादा गर्मी के दौरान चारा खिलाने से बचें।
- **चरने का कार्यक्रम:** ज्यादा गर्मी या उच्च तापमान से बचने के लिए चरने को सुबह जल्दी (11:00 बजे से पहले) और देर शाम (4:00 बजे के बाद) तक ही ले जायें।

पशुओं के स्वास्थ्य की निगरानी और पशु चिकित्सा देखभाल

- **गर्मी (लू) लग जाने के लक्षण:** किसानों को गर्मी (लू) लगने के लक्षणों को पहचानने के लिए प्रशिक्षित करें, जिसमें अत्यधिक लार आना, पानी का अधिक सेवन, कम चारा खाना, मुँह से सांस लेना या अत्यधिक छाया में रहना आदि निम्न लक्षण होते हैं।
- **पशु चिकित्सा सेवाएँ:** गर्मी (लू) लगने से संबंधित बीमारियों के तत्काल उपचार के लिए पशु चिकित्सा अस्पतालों और मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों तक पहुँच सुनिश्चित करें।
- **निवारक स्वास्थ्य जाँच:** कमजोरियों की पहचान करने और उन्हें जल्दी से जल्दी दूर करने के लिए गर्मी में लू की अवधि के दौरान नियमित स्वास्थ्य जाँच करें।

किसानों को शिक्षित करना और जागरूक करना

- **सलाह:** एसएमएस, रेडियो या स्थानीय पशु चिकित्सा केंद्रों के माध्यम से किसानों को नियमित सलाह जारी करें, जिसमें गर्मी (लू) से सुरक्षा के उपायों के बारे में विस्तार से बताया जाए, जैसे कि चराई के समय को समायोजित करना और छाया पानी की व्यवस्था करना।
- **प्रशिक्षण कार्यक्रम:** पशुपालकों को गर्मी (लू) के प्रबंधन के बारे में शिक्षित करने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करें, जिसमें पशुओं के रहने के स्थान और जलयोजन रणनीतियों जैसी व्यावहारिक तकनीकों पर ध्यान केंद्रित किया जाए।
- **समुदाय के दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुँच:** गर्मी (लू) के दौरान पशुओं की सुरक्षा के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए ग्रामीण विकास एजेंसियों एवं अन्य ग्रामीण कर्मियों के साथ सहयोग करें।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ समन्वय

- **हीट वेव थ्रेसहोल्ड:** सुरक्षात्मक उपायों को सक्रिय करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित जिला-विशिष्ट हीट वेव थ्रेसहोल्ड का पालन करें, जो पीले अलर्ट (36.7 C-40.58 C) से लेकर लाल अलर्ट (41.48 C-45.34 C) तक हो सकते हैं।
- **प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली:** समय पर हस्तक्षेप सुनिश्चित करते हुए, सक्रिय रूप से मानक संचालन प्रक्रिया को लागू करने के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमानों की निगरानी करें।
- **अंतर-विभागीय सहयोग:** पशु कल्याण को व्यापक हीट वेव (लू) कार्य योजना में एकीकृत करने के लिए स्वास्थ्य, शहरी विकास और ग्रामीण विकास विभागों के साथ काम करें।
- पशु चिकित्सा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करें
- **पशु चिकित्सा सुविधाएं:** गर्मी (लू) के दौरान देखभाल प्रदान करने के लिए जिलों में पशु चिकित्सा अस्पतालों और पशु सेवा केंद्रों जैसे मौजूदा बुनियादी ढांचे का लाभ उठाएं।
- **मोबाइल इकाइयाँ:** पशुधन के लिए चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करने के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों में मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयाँ तैनात करें।
- **आश्रय उन्नयन:** किसानों को गर्मी प्रतिरोधी सामग्री और बेहतर वेंटिलेशन सिस्टम के साथ मवेशी शेड को उन्नत करने के लिए प्रोत्साहित करें व प्रशिक्षित करें।

कार्यान्वयन रणनीति

- **जिला-स्तरीय क्रियान्वयन:** जिला पशु चिकित्सा अधिकारी और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी स्थानीय कार्यान्वयन की देखरेख करते हैं, क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुसार उपाय करते हैं।
- **निगरानी और रिपोर्टिंग:** हीट वेव (लू) के प्रभावों और मानक संचालन प्रक्रिया के अनुपालन पर नियमित रिपोर्ट पशुपालन विभाग और उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को प्रस्तुत करें।
- **संसाधन आवंटन:** पशु चिकित्सा देखभाल, जल आपूर्ति और आश्रय उन्नयन के लिए धन और संसाधन आवंटित करें, विशेष रूप से उन जिलों में जहां पर तापमान उच्चतम स्तर पर पहुंचता है।

हीट वेव (लू) तैयारी से संबंधित कार्यवाहियाँ

- प्रत्येक गौशाला में पशुओं के लिए पीने के पानी और उचित छाया की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

- गर्मी के दौरान मवेशियों के प्रबंधन के लिए सलाह जारी करें।
- मवेशियों में गर्मी से संबंधित या गर्मियों की बीमारियों से बचाव के लिए मौसमी टीकाकरण के लिए अभियान शुरू करने के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश जारी करें।
- अत्यधिक गर्मी के दौरान भोजन और जल की आवश्यकताओं के बारे में किसानों के लिए सलाह जारी करें।
- स्थानीय कर्मियों (पशु चिकित्सक-पैरामेडिक्स और टीका लगाने वाले) के साथ मोबाइल टीम के गठन के लिए निर्देश जारी करें।
- पशु चिकित्सा दवाओं और उपकरणों को पहले से तैयार रखें।

हीट वेव (लू) के दौरान कार्यवाहियाँ

- गर्मी से पीड़ित पशुओं के लिए पशु चिकित्सा आपातकालीन सहायता।
- गौशालाओं और पशु आश्रयों में पानी का छिड़काव।
- अत्यधिक गर्मी के दौरान भोजन और जलयोजन की आवश्यकताओं पर किसानों के लिए सलाह जारी करना।
- उन क्षेत्रों में मोबाइल टीम को सक्रिय करना जहाँ पानी की उपलब्धता का संकट पैदा हो जाता है।
- पशुपालकों के लिए जागरूकता अभियान शुरू करना (क्या करें और क्या न करें, भोजन और चराई संबंधी सलाह)
- सूखे की स्थिति में चारा शिविर का आयोजन करना।

हीट वेव (लू) के बाद की कार्यवाहियाँ

- पशुधन के नुकसान का आकलन करें और आपदा राहत कोष की नियमावली के अनुरूप मुआवजा सहायता प्रदान करें।
- जहां कहीं भी सुधार की आवश्यकता होती हो उन क्षेत्रों का आकलन करें और उनका दस्तावेजीकरण करें।
- संसाधनों और कार्यकलापों की पहचान करें जो अच्छी तरह से काम करती हैं और जो अच्छी तरह से काम नहीं करती हैं।

ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश

उद्देश्य

हीट वेव (लू) के दौरान विश्वसनीय, स्थिर और निर्बाध ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करना, ताकि बिजली कटौती को कम किया जा सके, महत्वपूर्ण बुनियादी संरचनाएँ (जैसे, अस्पताल, शीतलन केंद्र) को निर्बाध विद्युत आपूर्ति किया जा सके और उत्तर प्रदेश में अत्यधिक गर्मी के सामाजिक-आर्थिक और स्वास्थ्य प्रभावों को कम किया जा सके।

व्यापकता

इसमें उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिले शामिल हैं, जिसमें बुंदेलखंड, पूर्वांचल और शहरी केंद्रों (जैसे लखनऊ, झांसी, कानपुर, आगरा) जैसे हीट वेव (लू) प्रवण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जहाँ उच्च तापमान (अक्सर 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक) के कारण बिजली की मांग बढ़ जाती है। बार-बार बिजली गुल होने वाले ग्रामीण क्षेत्रों और ओवरलोड ग्रिड वाले शहरी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। तैयारी के लिए प्री-हीट वेव सीजन (फरवरी-मार्च), हीट वेव अवधि (अप्रैल-जून, भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमानों के आधार पर इसे और भी विस्तारित किया जा सकता है) और हीट वेव (लू) के बाद की रिकवरी (जुलाई से आगे) को शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश हीट वेव (लू) एक्शन प्लान 2025 के साथ संरेखित व समन्वित है, जो मार्च से जुलाई तक लू के दुष्प्रभावों को कम करने के उपायों पर जोर देता है।

हीट वेव मानदंड (भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र –आधारित)

- **पीला अलर्ट:** अधिकतम तापमान 36.7 डिग्री सेल्सियस–40.58 डिग्री सेल्सियस (प्रत्येक जिलों के अलग-अलग थ्रेशोल्ड के अनुरूप)।
- **नारंगी अलर्ट:** अधिकतम तापमान 39.09 डिग्री सेल्सियस–43.30 डिग्री सेल्सियस।
- **लाल अलर्ट:** अधिकतम तापमान 41.48 डिग्री सेल्सियस–45.34 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक।
- मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने पर हीट वेव घोषित किया जाता है, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस के अंतर पर होता है या तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाये तो सामान्य तापमान से कितना ज्यादा है इसकी तुलना नहीं की जाती।

भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ

- **बिजली आपूर्ति प्रबंधन:** आवश्यक सेवाओं के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना और शीतलन/वातानुकूलन आवश्यकताओं के कारण उच्चतम मांग के दौरान आउटेज को कम करना।
- **नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण:** ग्रिड आपूर्ति को सहयोग करने के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफ-ग्रिड समाधानों को बढ़ावा देने के लिए सौर ऊर्जा योजनाओं का लाभ उठाना।

- **बुनियादी ढाँचों की स्थिरता व निरंतरता:** गर्मी या लू के कारण उत्पन्न बिजली की अत्यधिक मांग का सामना करने के लिए बिजली के बुनियादी ढाँचे (ट्रांसफार्मर, केबल, सबस्टेशन) को मजबूत बनाए रखना और उन्नत करना।
- **सार्वजनिक जुड़ाव:** अभियानों और हेल्पलाइनों के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण और सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देना।
- **समन्वय:** शीतलन केंद्रों और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, स्वास्थ्य विभाग और राहत आयुक्त कार्यालय के साथ सहयोग करना।

हीट वेव (लू) तैयारी से संबंधित कार्यवाहियाँ

- **बुनियादी ढाँचे और ग्रिड की तैयारी:** गर्मी (लू) के दौरान उच्च मांग के लिए बिजली ग्रिड का निरीक्षण और तैयारी करें।
- **ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा दें:** ऊर्जा-बचत तरीकों का प्रसार करें, मांग को कम करने के लिए सार्वजनिक सहयोग को प्रोत्साहित करें।
- **आपातकालीन बिजली योजना:** वैकल्पिक बिजली स्रोतों की योजना बनाएं और अस्पतालों, पानी के पंपों और शीतलन केंद्रों सहित आवश्यक सुविधाओं को प्राथमिकता दें।

हीट वेव (लू) के दौरान कार्यवाहियाँ

- **महत्वपूर्ण सुविधाओं के लिए बिजली की आपूर्ति:** अस्पतालों, शीतलन केंद्रों और जल पंपिंग स्टेशनों में बिजली आपूर्ति बनाए रखें।
- **लोड प्रबंधन:** आवश्यक सेवाओं से समझौता किए बिना पीक लोड को प्रबंधित करने के लिए कम महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लोड-शेडिंग या क्रम वार विद्युत आपूर्ति योजना लागू करें।
- **आपातकालीन मरम्मत और रखरखाव:** लंबे समय तक बिजली कटौती को रोकने के लिए त्वरित मरम्मत और रखरखाव के लिए टीमों को तैनात करें।

हीट वेव(लू) के बाद की कार्यवाही

- **बिजली आपूर्ति दक्षता का मूल्यांकन:** गर्मी (लू) के दौरान बिजली आपूर्ति की पर्याप्तता का आकलन करें और सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करें।
- **बुनियादी ढाँचे को उन्नत कर अद्यतन करें:** ऊर्जा की कम खपत करने वाली प्रणालियों में निवेश करें और उपयोगिता और सीखे गए सबक के आधार पर ग्रिड आपूर्ति को सुरक्षित करें।

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश

उद्देश्य

ग्राम पंचायतों और शहरी क्षेत्रों में एकीकृत कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के माध्यम से वन्यजीवों पर गर्मी के प्रभाव को न्यूनतम करना तथा हरित क्षेत्रों को बढ़ावा देना।

व्यापकता

उत्तर प्रदेश के कृषि-जलवायु क्षेत्रों (जैसे बुंदेलखंड, तराई, पूर्वी उत्तर प्रदेश) के लिए विशेष रूप से हीट वेव (लू) प्रभावों को संबोधित करता है। ऐतिहासिक रूप से उच्च तापमान और लू से होने वाली मौतों वाले क्षेत्र या संभावित क्षेत्रों (जैसे इलाहाबाद, बांदा, झांसी, बलिया, वाराणसी) पर ध्यान केंद्रित करता है। उन क्षेत्रों को लक्षित करता है जहाँ अधिकतम तापमान नियमित रूप से गर्मी के महीनों (अप्रैल-जून) के दौरान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। यह ग्राम पंचायतों और शहरी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जमीनी स्तर पर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने की योजनाएँ बनाने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार करता है।

हीट वेव मानदंड (भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र –आधारित)

- **पीला अलर्ट:** अधिकतम तापमान 36.7 डिग्री सेल्सियस-40.58 डिग्री सेल्सियस (प्रत्येक जिलों के अलग-अलग थ्रेशोल्ड के अनुरूप)।
- **नारंगी अलर्ट:** अधिकतम तापमान 39.09 डिग्री सेल्सियस-43.30 डिग्री सेल्सियस।
- **लाल अलर्ट:** अधिकतम तापमान 41.48 डिग्री सेल्सियस-45.34 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक।
- मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने पर हीट वेव घोषित किया जाता है, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस के अंतर पर होता है या तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाये तो सामान्य तापमान से कितना ज्यादा है इसकी तुलना नहीं की जाती।

भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ

- **निगरानी और पूर्वानुमान:** वास्तविक समय के तापमान और लू की चेतावनियों के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के साथ समन्वय करें। जिला स्तरीय अधिकारियों और मीडिया के माध्यम से चेतावनियाँ प्रसारित करें।

- **पर्यावरण संरक्षण:** शहरी क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाने की योजनायें लागू करें, वृक्षों का आवरण बढ़ाएँ और टंडी छत वाली तकनीकों को बढ़ावा दें। लू के दौरान पर्यावरण संबंधी नियमों को लागू करें (जैसे, औद्योगिक उत्सर्जन, पानी का उपयोग)।
- **जलवायु अनुकूलन उपाय:** दीर्घकालिक जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने की शहरी योजनाओं को बढ़ावा दें। जलवायु परिवर्तन पर उत्तर प्रदेश राज्य कार्य योजना (UP State Action Plan for Climate Change) में लू कार्य योजना को एकीकृत करें।
- **वन और वन्यजीव प्रभाव शमन:** अत्यधिक गर्मी के दौरान जंगल की आग के जोखिमों की निगरानी करें। संरक्षित क्षेत्रों में वन्यजीवों के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

हीट वेव (लू) तैयारी से संबंधित कार्यवाहियाँ

- वनों में आग की घटनाओं को रोकने और कम करने के लिए जंगलों के आस-पास के गांवों में समुदाय को संगठित करें और जागरूकता अभियान चलाएं।
- शहरी स्थानीय निकायों के सहयोग से शहरों में वृक्षारोपण और हरित आवरण (कवरेज) बढ़ाने के लिए विभिन्न तकनीकों को बढ़ावा दें और लागू करें।
- चिड़ियाघरों और वन क्षेत्रों में जल निकायों को सुरक्षित और चालू रखना सुनिश्चित करें।
- जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजनाओं (State Action Plan on Climate Change) में हीट वेव (लू) जोखिमों को शामिल करें।
- हीट एक्शन प्लान में पर्यावरणीय विषयों को एकीकृत करने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ सहयोग करें।
- हीट वेव (लू) के पर्यावरणीय प्रभाव और गर्मी कम करने की रणनीतियों (जैसे, वनरोपण, ग्रीन बिल्डिंग, टंडी छतें) पर जन जागरूकता अभियान चलाएं।
- प्रारंभिक चेतावनी के प्रसारण के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ सहयोग करें, यह सुनिश्चित करें कि पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों को पूर्व से संवेदित एवं तैयार किया जाए।

हीट वेव (लू) के दौरान कार्यवाहियाँ

- वायु प्रदूषण के स्तर की निगरानी करें, जो लू के दौरान और भी बदतर हो सकता है, खासकर शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में।
- स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन विभागों के साथ अपडेट साझा करें।

- पार्को और हरित क्षेत्रों को आम-जन के लिए ठंडा रखने के लिए स्थानीय शहरी निकायों के साथ समन्वय करें।
- प्राकृतिक वेंटिलेशन या छायादार संरचनाओं को बढ़ावा देने जैसी शमन रणनीतियों के लिए संबंधित विभागों (स्वास्थ्य, शहरी, ग्रामीण विकास) को पर्यावरण विशेषज्ञता प्रदान करें।
- विभिन्न मीडिया के माध्यम से गर्मी/लू के प्रभाव से निपटने में पेड़ों, हरित आवरण और पर्यावरणीय प्रथाओं की भूमिका पर जानकारी का प्रसार करें।

हीट वेव(लू) के बाद की कार्यवाहियाँ

- लंबे समय तक गर्मी के कारण होने वाले पारिस्थितिक नुकसान का आकलन करें (जैसे, वनस्पति का नुकसान, जंगल की आग का खतरा)।
 - प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वनीकरण या वनीकरण अभियान चलाना।
 - दीर्घकालिक समाधान के लिए प्रकृति-आधारित समाधानों को बढ़ावा देना (जैसे, जल संचयन, हरित गलियारे)।
 - लू के बाद मौजूदा पर्यावरणीय और जलवायु रणनीतियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें।
 - सीखे गए सबक के साथ SAPCC या जिला जलवायु योजनाओं को अपडेट करें।
 - लू के बाद की रिकवरी के प्रयासों को सतत विकास लक्ष्य, विशेष रूप से SDG 13 (जलवायु कार्यवाही) और SDG 15 (भूमि पर जीवन) के साथ संरेखित करें।
- जलवायु परिवर्तन के स्थायी समाधान के लिए समुदाय-आधारित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा दें।

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश

उद्देश्य

हीट वेव (लू) के दौरान बढ़ी हुई जल मांग को पूरा करने के लिए जलाशयों की सुरक्षा करें, नहरों और जल निगम/जलकल में पानी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करें।

व्यापकता

उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों, खासकर हीट वेव (लू) से प्रभावित जिलों में लागू होता है। लू के दौरान सिंचाई, ठंडे आवासन, अस्पतालों और पशुओं की देखभाल के लिए पानी की मांग को पूरा करना है। अन्य विभागों (शहरी विकास, ग्रामीण विकास, पशुपालन, स्वास्थ्य) को पानी की व्यवस्था करने में सहायता करना है।

हीट वेव मानदंड (भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र –आधारित)

- **पीला अलर्ट:** अधिकतम तापमान 36.7 डिग्री सेल्सियस–40.58 डिग्री सेल्सियस (प्रत्येक जिलों के अलग-अलग थ्रेशोल्ड के अनुरूप)।
- **नारंगी अलर्ट:** अधिकतम तापमान 39.09 डिग्री सेल्सियस–43.30 डिग्री सेल्सियस।
- **लाल अलर्ट:** अधिकतम तापमान 41.48 डिग्री सेल्सियस–45.34 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक।
- मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने पर हीट वेव घोषित किया जाता है, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस के अंतर पर होता है या तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाये तो सामान्य तापमान से कितना ज्यादा है इसकी तुलना नहीं की जाती।

प्रमुख कार्य एवं जिम्मेदारियाँ

- **जल संसाधनों का अनुश्रवण**
 - जलाशयों के स्तर, नहरों में पानी की उपलब्धता और भूजल पुनर्भरण की स्थिति का आकलन करना।
 - पिछले वर्ष के आंकड़ों और vulnerability mapping का उपयोग करके महत्वपूर्ण जल संकट वाले क्षेत्रों की पहचान करना।
 - गर्मियों से पहले नहरों, ट्यूबवेल और पंप प्रणालियों की मरम्मत और रखरखाव सुनिश्चित करना।

- कमी का अनुमान लगाने के लिए जलाशयों, नदियों, नहरों और भूजल स्रोतों में जल स्तर का नियमित मूल्यांकन।
- जल उपलब्धता पर लू के प्रभावों की भविष्यवाणी करने के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से मौसम संबंधी आंकड़ों का उपयोग करना।
- वाष्पीकरण दरों की निगरानी करना, जो गर्मी या लू के दौरान काफी बढ़ जाती है, जिससे जल भंडारण प्रभावित होता है।

■ जल वितरण का प्रबंधन

- पेयजल और महत्वपूर्ण सिंचाई आवश्यकताओं के लिए जल आवंटन को प्राथमिकता देना, विशेष रूप से उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां भूजल पर ही निर्भरता रहती है।
- जल संसाधनों पर संघर्ष को रोकने के लिए समान वितरण सुनिश्चित करना, विशेष रूप से बुंदेलखंड और एनसीआर क्षेत्र जैसे उच्च जोखिम वाले जिलों में।
- हीट वेव (लू) के दौरान की आकस्मिक जल आपूर्ति योजना तैयार करना।

■ जल संरक्षण प्रबंधन

- संसाधनों को संरक्षित करने के लिए निर्माण या मनोरंजन के उद्देश्यों जैसे गैर-आवश्यक जल उपयोग पर प्रतिबंध लागू करना।
- अपव्यय को कम करने के लिए ड्रिप सिंचाई जैसी जल-बचत सिंचाई तकनीकों को बढ़ावा देना। जागरूकता अभियानों के माध्यम से किसानों और समुदायों को जल संरक्षण उपायों के बारे में शिक्षित करना।

■ आपातकालीन जल आपूर्ति

- आपातकालीन जल वितरण के लिए आकस्मिक योजनाएँ तैयार करना, जिसमें जल की कमी वाले क्षेत्रों में पानी के टैंकर तैनात करना भी शामिल है।
- गंभीर जल संकट के दौरान गहरे बोरवेल या अंतर-बेसिन स्थानांतरण जैसे वैकल्पिक जल स्रोतों को सक्रिय करना।
- जल निगम, ग्रामीण विकास और शहरी विकास विभागों के साथ मिलकर काम करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोगों तक पानी उपलब्ध हो।

■ सूखा प्रबंधन

- लंबे समय तक चलने वाली गर्मी और कम वर्षा के कारण होने वाली सूखे जैसी स्थितियों के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करना।

- दीर्घकालिक जल भंडारण और पुनर्भरण रणनीतियों, जैसे वर्षा जल संचयन और भूजल पुनःपूर्ति की योजना बनाना।
- वैकल्पिक सिंचाई विधियों के साथ किसानों का सहायता प्रदान करना।

हीट वेव (लू) तैयारी से संबंधित कार्यवाहियाँ

- **जल संसाधनों का आंकलन:** मौजूदा जल संसाधनों का आंकलन करें, खास तौर पर सूखाग्रस्त, जल संकट वाले और गहरे भूजल स्तर वाले क्षेत्रों में, ताकि बढ़ती मांग के लिए तैयारी की जा सके।
- **जल भंडारण बढ़ाएँ:** जल भंडारण क्षमता को बढ़ाएँ और जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए आपातकालीन बैकअप आपूर्ति योजना तैयार रखें।
- **जल संरक्षण पर जन जागरूकता:** कार्यशालाओं, पोस्टरों और सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच जल संरक्षण उपायों को बढ़ावा दें। सर्वोत्तम परम्पराओं/प्रथाओं का प्रचार करें, जल संरक्षण के लिए जगह-जगह पर प्रदर्शन स्थल स्थापित करें।

हीट वेव (लू) के दौरान कार्यवाहियाँ

- **बेहतर जल वितरण:** उच्च मांग वाले क्षेत्रों, शीतलन केंद्रों और सार्वजनिक स्थानों पर जल आपूर्ति बढ़ाएँ।
- **जल गुणवत्ता निगरानी:** जल आपूर्ति की गुणवत्ता सुनिश्चित करें, क्योंकि बढ़ती मांग के कारण संसाधनों पर दबाव पड़ सकता है और संभावित रूप से जल गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है।
- भूजल स्तर की निगरानी करें और भू-जल निकासी को विनियमित करें।

हीट वेव(लू) के बाद की कार्यवाहियाँ

- **लू के प्रभावों की समीक्षा:** लू के दौरान जल वितरण कार्य कुशलता और संसाधन प्रबंधन का मूल्यांकन करें।
- **बुनियादी ढांचे में सुधार:** फीडबैक के आधार पर जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे और क्षमता में किसी भी कमी की पहचान करें और उसका समाधान करें।
- जल संरक्षण (वर्षा जल संचयन) के लिए दीर्घकालिक कार्यक्रम की योजना बनाएं।

कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश

उद्देश्य

फसलों, पशुधन और कृषि पर निर्भर ग्रामीण समुदायों पर हीट वेव (लू) के प्रभाव को कम करना।

व्यापकता

यह मानक संचालन प्रक्रिया उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के लिए उपयोगी है। बुंदेलखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश जैसे संवेदनशील कृषि-जलवायु क्षेत्रों पर केंद्रित है। फसल प्रबंधन, पशुधन देखभाल, सिंचाई योजना और गर्मी की लहर की स्थिति (ठीक मार्च से जून) के दौरान किसान सहायता सेवाओं से संबंधित गतिविधियों को शामिल किया गया है।

हीट वेव मानदंड (भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र –आधारित)

- **पीला अलर्ट:** अधिकतम तापमान 36.7 डिग्री सेल्सियस–40.58 डिग्री सेल्सियस (प्रत्येक जिलों के अलग-अलग थ्रेशोल्ड के अनुरूप)।
- **नारंगी अलर्ट:** अधिकतम तापमान 39.09 डिग्री सेल्सियस–43.30 डिग्री सेल्सियस।
- **लाल अलर्ट:** अधिकतम तापमान 41.48 डिग्री सेल्सियस–45.34 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक।
- मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने पर हीट वेव घोषित किया जाता है, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस के अंतर पर होता है या तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाये तो सामान्य तापमान से कितना ज्यादा है इसकी तुलना नहीं की जाती।

प्रमुख कार्य एवं जिम्मेदारियाँ

- **कृषि-सलाह जारी करने की योजना:** गर्मी सहनशील फसल किस्मों पर प्रारंभिक मौसम की कृषि सलाह जारी की जाए। साथ ही क्रमिक बुवाई (staggered sowing) और सूखा-प्रतिरोधी बीजों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए।
- **किसानों तक पहुंच:** कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि प्रशिक्षण प्रबंध संस्थान के माध्यम से गर्मी के दुष्प्रभाव एवं प्रबंधन पर प्रशिक्षण आयोजित करें। स्थानीय भाषाओं में आईएससी, एसएमएस अलर्ट और ऑडियो संदेश वितरित व प्रसारित करें।
- **पशुधन तैयारी:** चारा और पशुओं के लिए छाया प्रावधान के लिए पशुपालन विभाग के साथ समन्वय करें।
- **बुनियादी ढांचे की तैयारी:** डीजल पंप, ड्रिप/स्प्रिंकलर किट की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

मल्लिंग, मिट्टी की नमी संरक्षण और जल संचयन को बढ़ावा दें।

- **हीट वेव एक्शन प्लान 2025:** में उद्धृत कृषि विभाग की कार्य योजना के आलोक में ही कृषि विभाग के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की गयी है जिसमें फसलों की सुरक्षा, पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने और किसानों और पशुओं की सुरक्षा से संबंधित कार्य योजनायें हैं। सामान्य हीट वेव (लू) प्रबंधन कार्य कलापों और एक्शन प्लान में उल्लिखित बहु-विभागीय रणनीति के आधार पर, निम्नलिखित उपायों को शामिल किए जाने की संभावना है।

हीट वेव (लू) तैयारी से संबंधित कार्यवाहियाँ

- **किसान प्रशिक्षण और जागरूकता:** किसानों को गर्मी प्रतिरोधी फसलों, स्थायी सिंचाई तकनीकों और उच्च तापमान के दौरान पशुधन प्रबंधन के बारे में शिक्षित करें।
- **संसाधन तत्परता:** यदि आवश्यक हो तो आपातकालीन वितरण के लिए बीज, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं का स्टॉक करें।

हीट वेव (लू) के दौरान कार्यवाहियाँ

- **किसानों के लिए दैनिक सलाह:** किसानों को फसलों और पशुधन के प्रबंधन के लिए दैनिक लू की चेतावनी और क्या करना चाहिए इसके लिए सुझाव प्रदान करें।
- **जल प्रबंधन:** फसलों और पशुधन के लिए जल उपयोग पर किसानों का मार्गदर्शन करें कि जल कि बरबादी जरा भी न हो उसके हर एक बूंद का उपयोग करें, जल संरक्षण को प्रोत्साहित करें।
- **पशुधन शीतलन संसाधन:** लू के प्रभाव को कम करने के लिए पशुओं के लिए छायादार क्षेत्रों और ठंडे पानी की सुविधाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करें।
- **क्षेत्र निगरानी:** फसल मुरझाने, कीट रोग के प्रकोप और पानी की जरूरतों पर आंकड़े एकत्र करें।
- **उच्च तापमान:** वाले क्षेत्रों में उचित कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन को सचेत करें।
- **सहायता सेवाएँ:** सिंचाई विभाग आपातकालीन समय में जल उपलब्धता के लिए समन्वय करें। प्रभावित ब्लॉकों में पशुधन के लिए पशु चिकित्सा स्वास्थ्य जांच शिविर सुनिश्चित करें।

हीट वेव(लू) के बाद की कार्यवाहियाँ

- **प्रभाव मूल्यांकन:** फसल की पैदावार और पशुधन के स्वास्थ्य पर लू के प्रभाव का आकलन करना और प्रभावित किसानों के लिए सहायता रणनीति विकसित करना।
- **सहायता योजना:** भविष्य के जोखिमों को कम करने के लिए सरकारी सहायता और संसाधन आवंटन के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करना।
- **पीएम फसल बीमा:** योजना और एसडीआरएफ राहत मानदंडों के तहत दावों को तेजी से निपटाना।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

उद्देश्य

यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक सुविधाएं ग्रामीण समुदायों को हीट वेव (लू) से पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करें। ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में हीट वेव (लू) के प्रभाव को प्रबंधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अक्सर पर्याप्त बुनियादी ढाँचों के अभाव में या जागरूकता में कमी के कारण जहाँ आबादी का एक बड़ा हिस्सा लू के दुष्प्रभावों का सामना करता रहता है, उनकी जिम्मेदारियाँ लू के प्रकोप से पहले, उसके दौरान और बाद के तीनों चरणों में फैली हुई हैं और ग्राम पंचायतों और ग्रामीण संस्थानों के माध्यम से गाँव स्तर पर तैयारी, प्रत्युत्तर समन्वय और स्थायी एवं सतत बनाने पर ध्यान केंद्रित करती हैं।

व्यापकता

यह मानक संचालन प्रक्रिया उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के सभी ग्रामीण क्षेत्रों पर लागू होता है। कार्यान्वयन के लिए ग्राम पंचायतों, खंड विकास कार्यालयों और जिला पंचायत को लक्षित करता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य-स्तरीय जलवायु जोखिम आकलन द्वारा पहचाने गए लू-प्रवण जिलों और उनमें से कमजोर समूहों विशेष रूप से बुजुर्ग, बच्चे, गर्भवती महिलाएँ, दिहाड़ी मजदूर और पशुधन पर निर्भर परिवारों पर ध्यान केंद्रित करता है। पंचायती राज और ग्रामीण विकास द्वारा प्रबंधित बुनियादी ढाँचा और सेवाएँ (जैसे, सामुदायिक भवन, जल निकाय, स्वच्छता) तथा ग्रामीण आजीविकाओं पर भी विशेष रूप से जिसमें MGNREGA मजदूर और छोटे पैमाने के किसानों पर भी ध्यान केंद्रित करता है।

हीट वेव मानदंड (भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र –आधारित)

- **पीला अलर्ट:** अधिकतम तापमान 36.7 डिग्री सेल्सियस–40.58 डिग्री सेल्सियस (प्रत्येक जिलों के अलग-अलग थ्रेशोल्ड के अनुरूप)।
- **नारंगी अलर्ट:** अधिकतम तापमान 39.09 डिग्री सेल्सियस–43.30 डिग्री सेल्सियस।
- **लाल अलर्ट:** अधिकतम तापमान 41.48 डिग्री सेल्सियस–45.34 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक।
- मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने पर हीट वेव घोषित किया जाता है, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस के अंतर पर होता है या तापमान

45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाये तो सामान्य तापमान से कितना ज्यादा है इसकी तुलना नहीं की जाती।

■ भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ

ग्रामीण विकास विभाग की विशिष्ट भूमिकाएँ

ग्रामीण विकास विभाग को ग्रामीण भारत में सतत और समावेशी विकास का कार्य सौंपा गया है, जैसा कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा रेखांकित किया गया है। लू के प्रबंधन के संदर्भ में, इसकी जिम्मेदारियों में निम्नलिखित गतिविधियां शामिल हो सकती हैं:

- **बुनियादी ढांचे का विकास:** ग्रामीण क्षेत्रों में छायादार क्षेत्रों, शीतलन केंद्रों और पेयजल सुविधाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना। इसमें गर्मी प्रतिरोधी बुनियादी ढाँचा बनाने के लिए MGNREGS जैसी योजनाओं का लाभ उठाना भी हो सकता है।
- **स्वास्थ्य सहायता:** ग्रामीण श्रमिकों, विशेष रूप से कृषि या निर्माण गतिविधियों में लगे लोगों के लिए स्वास्थ्य जाँच शिविरों का आयोजन करना, ताकि हीट स्ट्रोक और निर्जलीकरण के जोखिम को कम किया जा सके।
- **अन्य विभागों के साथ समन्वय:** ग्रामीण समुदायों के लिए चिकित्सा देखभाल और सुरक्षात्मक उपाय प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य और श्रम विभागों के साथ सहयोग करना।
- **संसाधन आवंटन:** आश्रयों का निर्माण या जल आपूर्ति प्रणालियों में सुधार जैसी हीट वेव (लू) शमनात्मक परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए धन और संसाधन आवंटित करना।
- **पंचायती राज विभाग की विशिष्ट भूमिकाएँ**

ग्रामीण उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन के लिए जिम्मेदार पंचायती राज विभाग जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीट वेव (लू) एक्शन प्लान में इसके योगदान में निम्नलिखित गतिविधियां शामिल की जा सकती हैं:
- **स्थानीय समन्वय:** ग्राम पंचायतों के माध्यम से कार्य करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लू की चेतावनी, स्वास्थ्य संबंधी सलाह और संसाधन हर गांव तक पहुंचें।
- **सामुदायिक सहभागिता:** ग्रामीण समुदायों को लू से संबंधित बीमारियों और निवारक उपायों के बारे में शिक्षित करने के लिए जन जागरूकता अभियान आयोजित करना, जैसे कि अधिक गर्मी के घंटों के दौरान हाइड्रेटेड रहना और बाहर काम करने से बचना।
- **निगरानी और रिपोर्टिंग:** गांव स्तर पर कार्य योजना के कार्यान्वयन की देखरेख करना और जिला स्तरीय अधिकारियों को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

- सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों का सहयोग: स्वास्थ्य जांच और सुरक्षित आश्रय उपलब्धता के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कम आय वाले परिवारों, बच्चों और बुजुर्गों को प्राथमिकता देना।

हीट वेव (लू) तैयारी से संबंधित कार्यवाहियाँ

- पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान (नुक्कड़ नाटक, पोस्टर)।
- ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन समितियों को सक्रिय करना।
- जिला स्तरीय अधिकारियों/प्राधिकरण को दिशा-निर्देश जारी करना ताकि समन्वय के साथ टिन शेड या बहुत खराब आवास स्थितियों में रहने वाले कमजोर समुदायों, खानाबदोश परिवारों और अतिरिक्त देखभाल की जरूरत वाले लोगों (बुजुर्ग, बीमार) की पहचान की जा सके।

हीट वेव (लू) के दौरान कार्यवाहियाँ

- पानी की कमी वाले गांवों में पानी के टैंकर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- ग्राम प्रधान किसी भी दुर्घटना की तुरंत सूचना देने के लिए निर्देशित हों।
- आपातकालीन प्रत्युत्तर टीमों को सक्रिय करें।
- ग्राम पंचायतों को स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों, विशेष रूप से निर्जलीकरण और हीटस्ट्रोक के मामलों की निगरानी करने और ब्लॉक या जिला प्रशासन को रिपोर्ट करने का निर्देश दें।
- प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में शीघ्र पहुंचने में आपातकालीन प्रत्युत्तर टीमों की सहायता करें।
- स्थानीय राहत, शीतलन व्यवस्था और हीट अलर्ट के संचार के समन्वय के लिए ग्राम प्रधानों और ग्राम स्वास्थ्य समितियों का उपयोग करें।

हीट वेव(लू) के बाद की कार्यवाहियाँ

- लू के दौरान उठाए गए कदमों की प्रभावशीलता पर सामुदायिक समीक्षा बैठकें।
- अगले गर्मी के मौसम में बेहतर ग्रामीण सुरक्षा के लिए योजना बनाना।
- गांव स्तर पर लू से संबंधित स्वास्थ्य प्रभावों, मौतों और दुष्प्रभावों पर आंकड़े एकत्र करने में मदद करना।
- मुआवजे और संसाधन नियोजन में सहयोग करने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण / जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

- मनरेगा और 15वें वित्त आयोग अनुदान जैसी योजनाओं के तहत टंडी छत (cool roof), वृक्षारोपण और छायादार कार्यस्थल जैसे जलवायु-परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना।
- बेहतर गर्मी अवशोषण और पारिस्थितिकी तंत्र के लाभ के लिए सामुदायिक स्थानों, तालाबों और विद्यालय परिसरों को हरा-भरा बनाने को प्रोत्साहित करना।
- पंचायत स्तर पर हीट वेव (लू) के उपरांत समीक्षा बैठकें आयोजित करना जिससे लू के अंतराल को समझने आगे की रणनीतियों को विकसित करने जैसी योजनाओं में सुधार करने के लिए लोगों का सुझाव प्राप्त हो सके।
- सामूहिक योजना और प्रतिक्रिया के माध्यम से ग्रामीण गर्मी लचीलापन बनाने में स्थानीय एसएचजी, युवा क्लब और किसान समूहों को शामिल करना।

परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश

उद्देश्य

हीट वेव (लू) के दौरान सार्वजनिक और निजी परिवहन सेवाओं का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करना।

व्यापकता

यह मानक संचालन प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक और निजी परिवहन के सभी साधनों पर लागू होती है, जिनमें निम्न शामिल हैं:

- राज्य द्वारा संचालित बसें (यूपीएसआरटीसी)
- निजी बस संचालक
- ऑटो-रिक्शा और टैक्सी
- रेलवे स्टेशन और बस टर्मिनल
- राजमार्ग और प्रमुख सड़क नेटवर्क

हीट वेव मानदंड (भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र –आधारित)

- **पीला अलर्ट:** अधिकतम तापमान 36.7 डिग्री सेल्सियस–40.58 डिग्री सेल्सियस (प्रत्येक जिलों के अलग-अलग थ्रेशोल्ड के अनुरूप)।
- **नारंगी अलर्ट:** अधिकतम तापमान 39.09 डिग्री सेल्सियस–43.30 डिग्री सेल्सियस।
- **लाल अलर्ट:** अधिकतम तापमान 41.48 डिग्री सेल्सियस–45.34 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक।
- मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने पर हीट वेव घोषित किया जाता है, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस के अंतर पर होता है या तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाये तो सामान्य तापमान से कितना ज्यादा है इसकी तुलना नहीं की जाती।

भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ

- **कर्मचारी सुरक्षा:** अत्यधिक गर्मी से बचने के लिए कार्य शेड्यूल को समायोजित करना, हाइड्रेशन स्टेशन उपलब्ध कराना और छायादार विश्राम गृह/स्थान सुनिश्चित करना।
- **यात्री सुरक्षा:** परिवहन केंद्रों को शीतलन सुविधाओं से सुसज्जित करना और लू से सुरक्षा संबंधी सलाह प्रसारित व प्रचारित करना।
- **वाहन संचालन:** लू से संबंधित समस्याओं को रोकने के लिए एयर कंडीशनिंग सिस्टम को बनाए रखना और वाहन की स्थिति की निगरानी करना।

- **समन्वय:** आपातकालीन के अवधि के दौरान स्वास्थ्य और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ सहयोग करना।

हीट वेव (लू) तैयारी से संबंधित कार्यवाहियाँ

- सुनिश्चित करें कि सभी परिवहन की गाड़ियों, स्टेशनों, विराम स्थलों में पर्याप्त वेंटिलेशन हो और सड़क किनारे की सुविधाएँ शीतलन और जलयोजन संसाधनों से सुसज्जित हों।
- ड्राइवरों और कर्मचारियों के बीच लू से संबंधित लक्षणों को पहचानने और आपात स्थितियों से निपटने के बारे में जागरूकता पैदा करें।
- बस स्टॉप, रेलवे स्टेशनों और परिवहन केंद्रों पर छायादार प्रतीक्षा क्षेत्रों/स्थानों का डिजाइन और निर्माण करें।
- प्रमुख यात्रा मार्गों और सार्वजनिक परिवहन स्थानों पर जलयोजन स्टेशन स्थापित करें।
- सार्वजनिक जागरूकता के लिए लू के प्रति संवेदनशील परिवहन सलाह विकसित कर प्रसारित करें।

हीट वेव (लू) के दौरान कार्यवाहियाँ

- सुनिश्चित करें कि सार्वजनिक परिवहन वाहन हवादार या वातानुकूलित हों और लंबी दूरी के मार्गों पर पीने का पानी उपलब्ध कराएं।
- बस स्टॉप और उच्च यातायात वाले क्षेत्रों में शीतलन और जलयोजन सुविधाएं स्थापित करें।
- लू के घंटों के दौरान यात्रा कम करने की सलाह जारी करें तथा अत्यधिक गर्मी की स्थिति पर वास्तविक समय यात्रा अलर्ट और सलाह जारी करें।
- यात्रियों के चढ़ने व उतरने के स्थान पर आपातकालीन चिकित्सा सहायता और जलयोजन सुविधाएं प्रदान करें।
- सुनिश्चित करें कि सार्वजनिक परिवहन वाहनों में वेंटिलेशन और शीतलन प्रणाली सुचारु रूप से चल रही है।

हीट वेव(लू) के बाद की कार्यवाहियाँ

- परिवहन संचालन की प्रभावशीलता की समीक्षा करें और यदि आवश्यक हो तो बुनियादी ढांचे में सुधार की योजना बनाएं।
- परिवहन बुनियादी ढांचे को अत्यधिक गर्मी के प्रति अधिक सुरक्षित बनाने के लिए दीर्घकालिक योजनाएँ विकसित करें।
- परिवहन से संबंधित हीट वेव (लू) की प्रभावशीलता की समीक्षा और आकलन करें।
- स्थायी छायादार प्रतीक्षा स्थानों/क्षेत्रों का विकास करें एवं उसके उचित उपयोग के लिए व्यवस्था करें और परिवहन नेटवर्क में पर्याप्त जलयोजन केंद्र स्थापित करें।

सूचना एवं जन-संपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

उद्देश्य

हीट वेव (लू) के जोखिम और सुरक्षा उपायों के संबंध में जनता के साथ सुसंगत, सटीक संचार सुनिश्चित करना।

व्यापकता

यह मानक संचालन प्रक्रिया उत्तर प्रदेश हीट वेव एक्शन प्लान के अनुरूप हीट वेव (लू) की तैयारी और रिकवरी से संबंधित सभी संचार गतिविधियों पर लागू होती है। यह मानक संचालन प्रक्रिया सूचना और जनसंपर्क विभाग की भूमिका को रेखांकित करता है:

- जन जागरूकता अभियानों की योजना बनाना, उन्हें लागू करना और उनकी निगरानी करना।
- हीट वेव (लू) से संबंधित प्रारंभिक चेतावनियों और सलाहों का प्रसार करना।
- अंतर-विभागीय व अंतर-एजेंसी समन्वय के लिए सहयोग करना।
- यह सुनिश्चित करना कि सटीक और समय पर जानकारी जनता तक पहुंचे, खासकर कमजोर आबादी तक।

हीट वेव मानदंड (भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र –आधारित)

- **पीला अलर्ट:** अधिकतम तापमान 36.7 डिग्री सेल्सियस–40.58 डिग्री सेल्सियस (प्रत्येक जिलों के अलग-अलग थ्रेशोल्ड के अनुरूप)।
- **नारंगी अलर्ट:** अधिकतम तापमान 39.09 डिग्री सेल्सियस–43.30 डिग्री सेल्सियस।
- **लाल अलर्ट:** अधिकतम तापमान 41.48 डिग्री सेल्सियस–45.34 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक।
- मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने पर हीट वेव घोषित किया जाता है, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस के अंतर पर होता है या तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाये तो सामान्य तापमान से कितना ज्यादा है इसकी तुलना नहीं की जाती।

भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ सलाह जारी करना

- भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के पूर्वानुमानों के आधार पर हीट वेव (लू) की चेतावनी जारी

करना।

- सुरक्षा संबंधी सुझाव साझा करना, जैसे कि हाइड्रेटेड रहना, सीधी धूप से बचना और हीट स्ट्रोक के लक्षणों को पहचानना।
- जानकारियों को प्रसारित करने के लिए कई चैनलों का उपयोग करें: प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, सोशल मीडिया और एसएमएस अलर्ट।

जन जागरूकता अभियान

- हीट वेव (लू) की रोकथाम पर शैक्षिक सामग्री (पोस्टर, वीडियो, इन्फोग्राफिक्स) विकसित करना।
- बाहरी कामगारों, बुजुर्गों और बच्चों सहित कमजोर समूहों को लक्षित करना।
- समुदाय-स्तर पर सभी तक पहुँचने के लिए स्थानीय प्रशासन व संस्थाओं के साथ सहयोग करना।

मीडिया समन्वय

- हीट वेव (लू) की स्थिति और सरकारी कार्रवाइयों के बारे में मीडिया को अपडेट करने के लिए नियमित प्रेस विज्ञप्तियाँ प्रदान करना।
- जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए गलत सूचनाओं का तुरंत खंडन और समाधान करना।
- आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन अधिकारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करना।

सार्वजनिक सहभागिता

- जनता के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हेल्पलाइन या सोशल मीडिया चैनल स्थापित करना।
- संचार रणनीतियों को बेहतर बनाने के लिए फीडबैक एकत्र करना।
- सरकार के राहत उपायों को बढ़ावा दें, जैसे कि कूलिंग सेंटर या चिकित्सा सहायता।

अंतर-विभागीय समन्वय

- चिकित्सा सलाह साझा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ काम करना।
- बुनियादी ढांचे के अपडेट के लिए शहरी विकास के साथ समन्वय स्थापित करना।
- हीट वेव एक्शन प्लान के प्रसार में उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का सहयोग करना।

हीट वेव (लू) तैयारी से संबंधित कार्यवाहियाँ

- हीट वेव (लू) सुरक्षा के बारे में पैम्फलेट, इन्फोग्राफिक्स, सोशल मीडिया पोस्ट और मीडिया ब्रीफ विकसित करना और व्यापक रूप से वितरित करना।

- चेतावनियों और सलाह के त्वरित प्रसार के लिए मीडिया आउटलेट के साथ संचार स्थापित करना।
- हीटवेव (लू) की रोकथाम और सुरक्षा पर सार्वजनिक जागरूकता अभियान विकसित करना और चलाना।
- लोगों को हीट वेव (लू) के जोखिमों के बारे में सूचित करने के लिए रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, सोशल मीडिया और एसएमएस अलर्ट का उपयोग करना।
- यह सुनिश्चित करें कि भारतीय मौसम विभाग (IMD) की ओर से सभी हीटवेव (लू) अलर्ट जनता के साथ तुरंत साझा किया जाए।
- अत्यधिक गर्मी के दौरान सुरक्षित रहने के तरीके पर शैक्षिक वीडियो और इन्फोग्राफिक्स बनाना।
- जागरूकता फैलाने के लिए विद्यालयों, मंदिरों, मस्जिदों और सामुदायिक केंद्रों के साथ समन्वय स्थापित करना।

हीट वेव (लू) के दौरान कार्यवाहियाँ

- **दैनिक अपडेट जारी करें:** हीट वेव (लू) की स्थिति, निवारक उपायों और सार्वजनिक संसाधन के स्थानों का दैनिक अपडेट जारी करें।
- **स्पष्ट सार्वजनिक संदेश:** सुसंगत सुरक्षा जानकारी के साथ विविध आबादी तक पहुँचने के लिए सोशल मीडिया, स्थानीय रेडियो और टीवी चैनलों का उपयोग करें।
- **गलत सूचना का मुकाबला करें:** हीट वेव (लू) के दौरान फैलने वाली गलत सूचनाओं की सक्रिय रूप से निगरानी करें और उनका समाधान करें।
- सभी मीडिया चैनलों पर आपातकालीन हीटवेव (लू) चेतावनियाँ जारी करें।
- स्थानीय भाषाओं में पीने का पानी, सीधे धूप में निकलने से बचना और हीटस्ट्रोक के लक्षणों को पहचानने जैसे सुरक्षा दिशा-निर्देश प्रसारित करें।
- आपातकालीन प्रत्युत्तर सेवाओं पर अपडेट प्राप्त करने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात पुलिस, जल निगम/जलकल बोर्ड, नगरपालिका और अन्य संबन्धित विभागों के साथ सहयोग करें।
- हीट वेव (लू) या स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में गलत सूचना की निगरानी करें और उसका समाधान करें।

हीट वेव(लू) के बाद की कार्यवाहियाँ

- सार्वजनिक संदेश की पहुंच और स्पष्टता का आकलन करें और फीडबैक एकत्र करें।
- प्रदर्शन और प्राप्त सुझावों के आधार पर संचार योजनाओं में समायोजन करें।
- दीर्घकालिक जलवायु अनुकूलन संदेशों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, स्वयं सेवी संस्थाओं और संयुक्त राष्ट्र भागीदारों के साथ काम करें।

पेड़ लगाने, गर्मी को कम करने वाले निर्माण और उचित घरेलू वेंटिलेशन पर सार्वजनिक जागरूकता अभियान जारी रखें।

समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश

उद्देश्य

लक्षित सहायता, सुरक्षित आश्रय और स्वास्थ्य सेवाएँ सुनिश्चित करके बुजुर्गों, विकलांग लोगों और आर्थिक-सामाजिक रूप से पिछड़ों सहित कमजोर आबादी को हीट वेव (लू) से संबंधित जोखिमों से बचाना और इसे सामुदायिक स्तर पर राहत उपायों और जागरूकता अभियानों तक समावेशी पहुँच की सुविधा भी प्रदान करना।

व्यापकता

यह मानक संचालन प्रक्रिया समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रबंधित सभी हीट वेव (लू) संबंधी गतिविधियों पर लागू होती है, जिसमें तैयारी, प्रत्युत्तर और रिकवरी शामिल है, जिसमें समाज के कमजोर समूहों और सामाजिक कल्याण संस्थाओं/संस्थानों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह मानक संचालन प्रक्रिया निम्न रूप में समाज कल्याण विभाग की भूमिका को रेखांकित करता है:

- हीट वेव (लू) के दौरान आर्थिक-सामाजिक रूप से पिछड़े जन-समूहों की पहचान करना और उनको सहयोग करना।
- समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित कल्याण संस्थाओं में सुरक्षात्मक उपायों को लागू करना।
- प्रभावी हीट वेव (लू) प्रबंधन के लिए अन्य विभागों के साथ समन्वय करना।

हीट वेव मानदंड (भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र –आधारित)

- **पीला अलर्ट:** अधिकतम तापमान 36.7 डिग्री सेल्सियस–40.58 डिग्री सेल्सियस (प्रत्येक जिलों के अलग-अलग थ्रेशोल्ड के अनुरूप)।
- **नारंगी अलर्ट:** अधिकतम तापमान 39.09 डिग्री सेल्सियस–43.30 डिग्री सेल्सियस।
- **लाल अलर्ट:** अधिकतम तापमान 41.48 डिग्री सेल्सियस–45.34 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक।
- मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने पर हीट वेव घोषित किया जाता है, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस के अंतर पर होता है या तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाये तो सामान्य तापमान से कितना ज्यादा है इसकी तुलना नहीं की जाती।

हीट वेव (लू) तैयारी से संबंधित कार्यवाहियाँ

- आर्थिक-सामाजिक रूप से पिछड़े जन-समूहों को प्राथमिकता देते हुए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में हीटवेव (लू) की तैयारियों को एकीकृत करें।
- हीटवेव (लू) के जोखिमों और रोकथाम उपायों पर महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए लक्षित जागरूकता अभियान विकसित करें।
- अत्यधिक गर्मी की घटनाओं के दौरान त्वरित सहायता के लिए मानवीय एजेंसियों/संस्थाओं के साथ समन्वय तंत्र स्थापित करें।
- उच्च जोखिम वाली आबादी की पहचान करें और उनकी सुरक्षा और प्रत्युत्तर के लिए योजना विकसित करें।
- हीट वेव (लू) के परिदृश्य में आश्रय गृहों, अनाथालयों और पुनर्वास केंद्रों की स्थिति की समीक्षा करें और उसका आकलन करें।
- केंद्रों पर स्थापित उपकरणों जैसे वाटर कूलर, पंखे, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, शेड आदि की कार्यक्षमता सुनिश्चित करें। साथ ही, गर्मी के दौरान घुटन से बचने के लिए केन्द्रों के कक्ष/कमरे में रहने वाले लोगों की भीड़/संख्या का आकलन करें।
- सामुदायिक केंद्रों, कल्याण छात्रावासों और सामाजिक संस्थानों के माध्यम से सरल, स्थानीय भाषा और समावेशी प्रारूपों (दिव्यांगों के लिए ऑडियो/विजुअल) का उपयोग करके हीट सेफ्टी (लू सुरक्षा) दिशा-निर्देशों का प्रसार करें।
- सुनिश्चित करें कि वृद्धाश्रम, अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए छात्रावास और आश्रयों में काम करने वाले लोगों के लिए पंखे, ठंडा पीने का पानी, छायादार क्षेत्र और चिकित्सा किट उपलब्ध हों।
- कल्याणकारी आवासों में छतें ठंडी रखने के लिए, हरे रंग की छाया या परावर्तक पेंट लगाने के लिए योजना तैयार करें व उसे लागू करें।
- कमजोर बस्तियों और कॉलोनियों में संयुक्त कार्य योजनाएँ तैयार करने के लिए स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और शहरी विकास विभागों के साथ सहयोग करें।

हीट वेव (लू) के दौरान कार्यवाहियाँ

- हीट वेव (लू) से प्रभावित कम आय वाले परिवारों को वित्तीय सहायता और तत्काल राहत प्रदान करें।
- आपातकालीन आश्रयों और राहत वितरण में आर्थिक-सामाजिक रूप से पिछड़े जन-समुदायों को प्राथमिकता दें व उनका शामिल होना सुनिश्चित करें।

- आपातकालीन प्रत्युत्तर समन्वय सहित हीट वेव (लू) से संबंधित सहायता के लिए हेल्पलाइन संचालित करें।
- लू के कारण आर्थिक दुष्प्रभावों से निपटने के लिए कमजोर समूहों की मदद करें व उन्हें नकद सहायता उपलब्ध कराने के कार्यक्रमों से जोड़ें।
- कल्याणकारी संस्थानों में रहने वाले बुजुर्गों, दिव्यांगों और अन्य लोगों के स्वास्थ्य और सेहत की जाँच करने के लिए स्थानीय सहायता तंत्र को सक्रिय करें।
- विशेष रूप से शहरी मलिन बस्तियों और दूरदराज के क्षेत्रों में शीतलन केंद्रों और जलयोजन बिंदुओं तक समय पर पहुँच सुनिश्चित करें।
- आर्थिक रूप से वंचित समूहों को ओआरएस पैकेट, तिरपाल, छाते और टोपी वितरित करें।
- बेघर या असुरक्षित आबादी के लिए अस्थायी आश्रय या छायादार सामुदायिक स्थान की सुविधा प्रदान करें।
- गर्मी के संपर्क से बचने के लिए समायोजित समय-सारिणी के साथ आश्रय गृहों और देखभाल गृहों के सामान्य कामकाज को बनाए रखें (जैसे, सुबह जल्दी कक्षाएं, इनडोर गतिविधियाँ)।
- युवाओं, स्वयं सहायता समूहों और स्वयंसेवकों को संवेदनशील व्यक्तियों की जाँच करने और आपात स्थिति के दौरान प्राथमिक चिकित्सा या सहायता प्रदान करने के लिए प्रेरित करें।

हीट वेव(लू) के बाद की कार्यवाहियाँ

- आर्थिक-सामाजिक रूप से पिछड़े जन-समुदायों पर हीटवेव के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का आकलन करें।
- भविष्य में हीटवेव (लू) के दौरान निरंतर सहायता प्रदान करने के लिए सामाजिक सुरक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों को बढ़ाएँ।
- लाभार्थियों के बीच नुकसान या लू से संबंधित मौतों का आकलन करने और राहत या कल्याणकारी योजनाओं द्वारा सहयोग करने के लिए जिला प्रशासन के साथ समन्वय करें।
- हीट स्ट्रोक के कारण अपने सदस्यों को खोने वाले बुजुर्गों या परिवारों को मनोवैज्ञानिक सहायता और परामर्श प्रदान करें।
- प्रभावित लोगों के लिए आजीविका बहाली या पुनर्वास योजनाओं तक पहुँच को सुगम बनाएँ।
- सरकार को हीट वेव समावेशी सामाजिक सुरक्षा नीतियों पर सलाह देने और जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से बचने के लिए सामाजिक आवास और पेंशन योजनाओं में सुधार करने के लिए क्षेत्र से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार का सिफारिश/पैरवी करें।

महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश

उद्देश्य

आंगनवाड़ी और सामुदायिक सेवाओं के माध्यम से सुरक्षित आश्रय, पीने का पानी, पोषण और लू से बचाव की जानकारी देकर महिलाओं, बच्चों और गर्भवती/स्तनपान कराने वाली माताओं की सुरक्षा करना।

व्यापकता

यह मानक संचालन प्रक्रिया महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रबंधित सभी हीट वेव (लू) संबंधी गतिविधियों पर लागू होती है, जिसमें तैयारी और लू के बाद की प्रक्रियाएँ शामिल हैं, जिसमें कमजोर आबादी और सामाजिक कल्याण संस्थानों/पोषण और प्रारंभिक बाल विकास केंद्र जैसे आंगनवाड़ी केंद्र पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

हीट वेव मानदंड (भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र –आधारित)

- **पीला अलर्ट:** अधिकतम तापमान 36-7 डिग्री सेल्सियस & 40-58 डिग्री सेल्सियस (प्रत्येक जिलों के अलग-अलग थ्रेशोल्ड के अनुरूप)।
- **नारंगी अलर्ट:** अधिकतम तापमान 39-09 डिग्री सेल्सियस & 43-30 डिग्री सेल्सियस।
- **लाल अलर्ट:** अधिकतम तापमान 41-48 डिग्री सेल्सियस & 45-34 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक।
- मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने पर हीट वेव घोषित किया जाता है, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस के अंतर पर होता है या तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाये तो सामान्य तापमान से कितना ज्यादा है इसकी तुलना नहीं की जाती।

हीट वेव (लू) तैयारी से संबंधित कार्यवाहियाँ

- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से उन उच्च जोखिम वाले घरों की पहचान करें, जहां गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं, कुपोषित बच्चे और बुजुर्ग महिलाएं निवास करती हैं।

- आंगनवाड़ी केंद्रों, विद्यालयों और महिला स्वयं सहायता समूहों में गर्मी (लू) के जोखिम और सुरक्षा उपायों (जैसे स्वच्छ पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था, छाया में रहना और हल्के सूती कपड़े पहनें) पर आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) अभियान चलाना।
- बच्चों और शिशुओं में गर्मी (लू) से होने वाली बीमारियों के लक्षण, बचाव और प्राथमिक उपचार के बारे में माताओं एवं देखभाल करने वालों को जागरूक और शिक्षित करने पर विशेष ध्यान दिया जाए।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा कार्यकर्ताओं को लू (गर्मी) के लक्षणों की पहचान, आपातकालीन स्थिति में त्वरित एवं आवश्यक प्रथम-स्तरीय प्रत्युत्तर कौशल तथा ज्ञान प्रदान करने हेतु प्रशिक्षित करना।
- यह सुनिश्चित किया जाए कि टेक-होम राशन (टीएचआर) और मध्याह्न भोजन की आपूर्ति बाधित न हो और गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए उसमें हल्का, जल-संपन्न एवं तरल आहार शामिल किया जाए।

हीट वेव (लू) के दौरान कार्यवाहियाँ

- यह सुनिश्चित किया जाए कि आंगनवाड़ी केंद्र सुरक्षित समय (जैसे सुबह के समय) में संचालित हों तथा उनमें पंखे, स्वच्छ पीने के पानी और छायादार क्षेत्रों की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध हो। गर्मी से थकावट या हीट स्ट्रोक के गंभीर मामलों, विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं को निकटतम स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए रेफर करने में सहायता करें।
- अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से ओआरएस, पानी और इलेक्ट्रोलाइट घोल वितरित करें।
- स्थानीय रूप से उपलब्ध पारंपरिक शीतल खाद्य पदार्थों एवं घरेलू प्राकृतिक उपचारों के उपयोग को प्रोत्साहित करें।
- गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की नियमित निगरानी करें, क्योंकि वे लू के दौरान अत्यधिक संवेदनशील होती हैं।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर, आवश्यकता पड़ने पर स्वास्थ्य जांच के लिए मोबाइल टीमों का गठन करें।

हीट वेव (लू) के बाद की कार्यवाहियाँ

- लू के बाद बच्चों और महिलाओं में स्वास्थ्य परिणामों, जैसे डिहाइड्रेशन (निर्जलीकरण), कुपोषण

या अन्य संबंधित स्थितियों पर निगरानी रखें और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करें।

- लू प्रबंधन हेतु किये गए उपायों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए स्वयं सहायता समूह, आंगनवाड़ी कर्मियों और माताओं से सामुदायिक स्तर पर प्रतिक्रिया एकत्र करें।
- हीट एक्शन प्लान को अपडेट करने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सुझाव व जानकारी प्रदान करें।
- स्थानीय स्तर पर लू से निपटने की योजनाओं (जैसे सामुदायिक छाया आश्रय, जल संरक्षण, जागरूकता अभियान) को शुरू करने के लिए स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाएँ।
- लू से संबंधित मौतों या आपात स्थितियों के कारण महिलाओं और बच्चों में तनाव या मानसिक आघात (स्ट्रेस/ट्रॉमा) के मामलों की पहचान करें। यदि आवश्यक हो तो उन्हें परामर्श सेवाओं से जोड़ें।

श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश

उद्देश्य

श्रमिकों, विशेषकर दैनिक वेतनभोगी, असंगठित और बाहरी मजदूरों की सुरक्षा के लिए, हीट एव (लू) के संबंध में दिशा-निर्देशों को लागू करना, कार्य के घंटों को समायोजित करना, तथा कार्यस्थलों पर पानी, छाया और चिकित्सा सहायता की पहुंच सुनिश्चित करना।

व्यापकता

यह मानक संचालन प्रक्रिया उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों, विशेष रूप से निर्माण, कृषि और विनिर्माण जैसे बाहरी और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को हीट वेव (लू) के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिए लागू किए जाने वाले उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। इसका उद्देश्य व्यावसायिक सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना, लू से संबंधित बीमारियों को कम करना और अत्यधिक गर्मी की घटनाओं के दौरान श्रमिक कल्याण को बढ़ावा देना है। इसमें नियोक्ताओं, श्रमिक संघों, ठेकेदारों और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय करके प्रभावी लू शमन रणनीतियों को लागू करना भी शामिल है।

हीट वेव मानदंड (भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र –आधारित)

- **पीला अलर्ट:** अधिकतम तापमान 36.7 डिग्री सेल्सियस–40.58 डिग्री सेल्सियस (प्रत्येक जिलों के अलग-अलग थ्रेशोल्ड के अनुरूप)।
- **नारंगी अलर्ट:** अधिकतम तापमान 39.09 डिग्री सेल्सियस–43.30 डिग्री सेल्सियस।
- **लाल अलर्ट:** अधिकतम तापमान 41.48 डिग्री सेल्सियस–45.34 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक।
- मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने पर हीट वेव घोषित किया जाता है, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस के अंतर पर होता है या तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाये तो सामान्य तापमान से कितना ज्यादा है इसकी तुलना नहीं की जाती।

भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ

श्रम विभाग की अन्य राज्य एजेंसियों/संस्थाओं, नियोक्ताओं और हितधारकों के साथ समन्वय में, निम्नलिखित जिम्मेदारी है:

जागरूकता और प्रशिक्षण

- नियोक्ताओं और श्रमिकों के लिए हीट वेव (लू) जोखिमों, गर्मी से संबंधित बीमारियों के लक्षणों (जैसे, गर्मी से थकावट, हीटस्ट्रोक) और निवारक उपायों पर जागरूकता अभियान चलाना।
- प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का उपयोग करके हिंदी और स्थानीय बोलियों/भाषाओं में शैक्षिक सामग्री वितरित करना।
- पर्यवेक्षकों के लिए हीट स्ट्रेस लक्षणों को पहचानने और सुरक्षा प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना।

कार्यस्थल सुरक्षा उपाय

- लू के दौरान सुरक्षित कार्य स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अनुपालन को लागू करना।
- नियोक्ताओं को कार्य स्थल पर स्वच्छ और पीने योग्य पानी उपलब्ध करने के लिए अनिवार्य व आवश्यक निर्देश देना।
- आराम के लिए अवकाश: गर्मी उच्चतम समयों के घंटों (सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक) के दौरान छायादार या ठंडे क्षेत्रों में निर्धारित अवकाश।
- आश्रय: निर्माण स्थलों और बाहरी कार्यस्थलों पर आराम के लिए गर्मी-रोधी आश्रय या छायादार स्थान की उपलब्धता।
- व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण: हल्के, हवा जाने-आने योग्य कपड़े और जहाँ लागू हो वहाँ टंडा करने सुरक्षा कवच उपलब्ध कराएं।
- भारी शारीरिक श्रम को दिन के ठंडे हिस्सों (जैसे, सुबह जल्दी या देर दोपहर) में पुनर्निर्धारित करने की सलाह दें।

निगरानी और प्रवर्तन

- उच्च जोखिम वाले कार्यस्थलों (जैसे, निर्माण स्थल, ईंट भट्टे, कारखाने) पर अनुपालन की निगरानी के लिए श्रम विभाग के निरीक्षकों को तैनात करें।
- नियोक्ताओं को हीट वेव (लू) सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए सलाह जारी करें, जिसमें संबंधित श्रम कानूनों के तहत गैर-अनुपालन के लिए दंड का प्रावधान हो।
- कार्यस्थलों पर ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट (ओआरएस) और प्राथमिक चिकित्सा किट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय करें।

अन्य विभागों के साथ समन्वय

- राज्य की हीट वेव (लू) कार्य योजना में श्रम-विशिष्ट उपायों को एकीकृत करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ सहयोग करें।
- कार्यस्थलों में ठंडी छत के अनुप्रयोगों और पारंपरिक/गैर यांत्रिक शीतलन डिजाइनों को बढ़ावा देने के लिए आवास और शहरी नियोजन विभाग के साथ काम करें।
- हीट वेव (लू) से प्रभावित श्रमिकों के लिए अस्पताल के बिस्तर आरक्षित करने और चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ संपर्क करें।

आंकड़ों का एकत्रीकरण एवं प्रतिवेदन

- श्रमिकों में लू से संबंधित बीमारियों और मौतों का लेखा-जोखा बनाए रखें, सभी घटनाओं का एक समान पंजीकरण सुनिश्चित करें।
- कार्यस्थलों पर लू से संबंधित घटनाओं की जांच करें और संबंधित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को निष्कर्ष प्रस्तुत करें।

कमजोर श्रमिकों को सहायता

- असंगठित क्षेत्र के कामगारों, प्रवासी मजदूरों और कम वेतन वाली नौकरियों में काम करने वाले उन लोगों को जो लू के प्रभाव के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता दें।
- लू से संबंधित बीमारियों से प्रभावित श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा और मुआवजे जैसी सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ उपलब्ध करायें।

हीट वेव (लू) तैयारी से संबंधित कार्यवाहियाँ

- बाहरी श्रमिकों के लिए लू से सुरक्षा के उपाय सुनिश्चित करने वाले विनियमन विकसित करना और उन्हें लागू करना।
- निर्माण श्रमिकों और अन्य बाहरी मजदूरों को लक्षित करके जन जागरूकता अभियान चलाना।
- छायादार विश्राम क्षेत्र, हाइड्रेशन केंद्र और विनियमित कार्य घंटे स्थापित करने के लिए नियोक्ताओं के साथ समन्वय करना।
- कार्य स्थलों पर ठंड रखने वाली पोशाक, हाइड्रेशन पैक और प्राथमिक चिकित्सा आपूर्ति आदि के प्रावधान सुनिश्चित करना।

हीट वेव (लू) के दौरान कार्यवाहियाँ

- हीट वेव (लू) सुरक्षा विनियमों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए कार्यस्थल का निरीक्षण करें।
- सुनिश्चित करें कि व्यवसाय के मालिक और नियोक्ता आपातकालीन प्रोटोकॉल लागू करें, जैसे कि ज्यादा गर्मी के समय में अवकाश और छायादार क्षेत्र में विश्राम।
- बाहरी श्रमिकों को ओरल रिहाईड्रेशन साल्ट (ओआरएस) और प्राथमिक चिकित्सा किट वितरित करें।
- लू से संबंधित बीमारियों के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता और त्वरित प्रत्युत्तर दल गठित करें।

हीट वेव(लू) के बाद की कार्यवाहियाँ

- कार्यस्थलों में हीट वेव (लू) सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें और उसके अनुसार सुधार की सिफारिश करें।
- नियोक्ता द्वारा प्रदान किए जाने वाले अनिवार्य हीट प्रोटेक्शन उपायों को शामिल करने के लिए श्रम कानूनों को संशोधित करें।

कार्यबल विकास कार्यक्रमों में हीटवेव (लू) सुरक्षा प्रशिक्षण को एकीकृत करें।

उत्तर प्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ

उद्देश्य

आग लगने की घटनाओं के प्रति विशेष रूप से शहरी, ग्रामीण, वन और औद्योगिक क्षेत्रों में उच्च स्तर पर सतर्क रहना तथा अत्यधिक गर्मी (लू) के दौरान त्वरित और अग्नि निवारण के उपाय सुनिश्चित करना।

उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा की हीट वेव (लू) से जुड़े जोखिमों के प्रबंधन में खासकर अत्यधिक गर्मी के दौरान आग की घटनाओं, जंगल की आग और औद्योगिक खतरों के बढ़ते जोखिम को देखते हुए महत्वपूर्ण सहायक और निवारक भूमिका है। उनकी भूमिका राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और अन्य विभागों के साथ समन्वय में हीट वेव (लू) के पूर्व, दौरान और बाद के चरणों अलग-अलग कार्य और जिम्मेदारियों में फैली हुई है।

व्यापकता

यह मानक संचालन प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में हीट वेव (लू) के प्रभाव को कम करने में उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा की भूमिका और जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है, जिसमें अन्य एजेंसियों के साथ तैयारी, प्रत्युत्तर और समन्वय पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

यह उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के सभी अग्निशमन केंद्रों, कर्मियों और सभी तरह के संचालन पर लागू होता है, जैसा कि उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम 1944 और उसके संशोधनों द्वारा अनिवार्य किया गया है। मानक संचालन प्रक्रिया उत्तर प्रदेश हीट वेव एक्शन प्लान 2025 और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के व्यापक प्रारूप के अनुरूप है।

हीट वेव मानदंड (भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र –आधारित)

- **पीला अलर्ट:** अधिकतम तापमान 36.7 डिग्री सेल्सियस–40.58 डिग्री सेल्सियस (प्रत्येक जिलों के अलग-अलग थ्रेशोल्ड के अनुरूप)।
- **नारंगी अलर्ट:** अधिकतम तापमान 39.09 डिग्री सेल्सियस–43.30 डिग्री सेल्सियस।
- **लाल अलर्ट:** अधिकतम तापमान 41.48 डिग्री सेल्सियस–45.34 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक।
- मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने पर हीट वेव घोषित किया जाता है, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस के अंतर पर होता है या तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाये तो सामान्य तापमान से कितना ज्यादा है इसकी तुलना नहीं की जाती।

भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ

हीट वेव एक्शन प्लान के तहत, उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा को निम्नलिखित जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं:

- **अग्नि जोखिम मूल्यांकन और शमन:** आग लगने की आशंका वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए मूल्यांकन करना, विशेष रूप से गर्मी के उच्चतम ताप के महीनों के दौरान, और आग के खतरों को कम करने के उपायों को लागू करना।
- **आपातकालीन प्रत्युत्तर तैयारी:** यह सुनिश्चित करना कि अग्निशमन केंद्रों में पर्याप्त कर्मचारी हों और वे हीट वेव (लू) की स्थिति से उत्पन्न आग की घटनाओं पर तुरंत प्रत्युत्तर करने के लिए सुसज्जित हों।
- **जन जागरूकता अभियान:** स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर हीट वेव (लू) के दौरान लोगों को अग्नि सुरक्षा उपायों के बारे में शिक्षित करना, जिसमें बिजली के उपकरणों का सुरक्षित उपयोग और ज्वलनशील पदार्थों का उचित भंडारण सम्मिलित हो।
- **अन्य विभागों के साथ समन्वय:** गर्मी (लू) से संबंधित आपात स्थितियों के लिए एकीकृत प्रत्युत्तर प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं, नगर निकायों और आपदा प्रबंधन अधिकारियों के साथ समन्वय में काम करना।

हीट वेव (लू) तैयारी से संबंधित कार्यवाहियाँ

- आग लगने की आशंका वाले क्षेत्रों की पहचान करें, खास तौर पर शहरी झुग्गी-झोपड़ियों, औद्योगिक क्षेत्रों, बाजारों, जंगलों और ज्वलनशील पदार्थों के भंडारण वाले क्षेत्रों में।
- संवेदनशील सार्वजनिक इमारतों का नक्शा बनाएँ और गर्मी की स्थिति में आग से सुरक्षा के लिए सलाह/सुझाव संबंधी दिशा-निर्देश जारी करें।
- गर्मी के दौरान होने वाली आग के खतरों के लिए तैयारियाँ सुनिश्चित करने के लिए विद्यालयों, अस्पतालों, उद्योगों और सार्वजनिक संस्थानों में अग्नि सुरक्षा के संबंध में सुरक्षा उपायों का निरीक्षण करें।
- उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में अग्निशामक यंत्रों, पानी की टंकियों और अलार्मों की स्थापना और रखरखाव को बढ़ावा दें।
- स्थानीय निकायों, आरडब्ल्यू और शैक्षणिक संस्थानों के साथ समन्वय करके अग्नि सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाएँ।

- सार्वजनिक प्रत्युत्तर क्षमता का निर्माण करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में मोक ड्रिल अभ्यास आयोजित करें।
- शुष्क/गर्म मौसम के दौरान जंगल और घास के मैदानों में लगने वाली आग से निपटने के लिए संयुक्त रणनीति तैयार करें।
- आपात स्थिति के दौरान पानी लाने के लिए जल स्रोतों की पहचान करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों के साथ समन्वय करें।

हीट वेव (लू) के दौरान कार्यवाहियाँ

- आग की बढ़ती घटनाओं के लिए हाई अलर्ट पर रहें, खासकर ऐसे क्षेत्रों में जहां पर किसी तरह का अवरोध नहीं है, बिजली के प्रतिष्ठानों, कारखानों और भीड़भाड़ वाली शहरी बस्तियों में।
- त्वरित प्रत्युत्तर दल तैनात करें और सुनिश्चित करें कि सभी प्रमुख स्थानों पर हाइड्रेंट और पानी की उपलब्धता बनी रहे।
- जहां गर्मी से होने वाली आग या घटनाएं जीवन के लिए खतरा पैदा करती हैं, वहां लोगों को बाहर निकालने के लिए और बचाव कार्यों में सहायता करें।
- अत्यधिक गर्मी की स्थिति के दौरान बाजारों, धार्मिक समारोहों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों जैसे स्थानों पर स्टैंडबाय फायर टेंडर बनाए रखें।

हीट वेव (लू) के बाद की कार्यवाहियाँ

- हीट वेव (लू) के दौरान किसी भी आग के प्रकोप की घटना के बाद विश्लेषण करना ताकि कारणों का पता लगाया जा सके और भविष्य की तैयारियों में सुधार किया जा सके।
- हीट वेव (लू) के दौरान अग्निशमन सेवाओं के प्रदर्शन की समीक्षा करना और उपकरणों के उन्नयन, प्रशिक्षण या ऐसे क्षेत्रों में जहां पर अग्नि शमन के कोई उपाय नहीं हैं, नए अग्निशमन केंद्रों की जरूरतों की पहचान करना।
- हीट वेव (लू) की अवधि के दौरान आग से संबंधित घटनाओं, प्रत्युत्तर का समय और चुनौतियों पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ विस्तृत रिपोर्ट साझा करना।
- शहरी गर्मी और आग के जोखिम को कम करने की योजनाओं में योगदान देना, बेहतर शहरी डिजाइन, ग्रीन बफर्स और आग प्रतिरोधी बुनियादी ढाँचे की सिफारिश करना।

यातायात पुलिस, उत्तर प्रदेश

उद्देश्य

सुगम यातायात प्रवाह सुनिश्चित करना, हीट इमरजेंसी के दौरान यात्रियों की सहायता करना तथा प्रमुख चौराहों और यातायात जाम बिंदुओं पर पानी और छाया की व्यवस्था का समन्वय करना।

व्यापकता

यह एसओपी उत्तर प्रदेश में लू की स्थिति के दौरान यातायात पुलिस कर्मियों और जनता की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश यातायात पुलिस के उपायों और जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है। यह एसओपी उत्तर प्रदेश के सभी यातायात पुलिस कर्मियों पर लागू होगा, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में तैनात कर्मियों पर जहाँ तापमान अधिक रहता है, जैसे लखनऊ, कानपुर, झांसी और प्रयागराज। इसमें लू की स्थिति के दौरान तैयारी, प्रतिक्रिया और समन्वय के लिए प्रोटोकॉल का विवरण दिया गया है। इस एसओपी का उद्देश्य गर्मी से संबंधित बीमारियों को कम करना, प्रभावी यातायात प्रबंधन बनाए रखना और अत्यधिक मौसम की परिस्थितियों में जन-सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ

यातायात पुलिस मुख्यालय

- **नीति निर्माण:** स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के सुझावों को शामिल करते हुए हीट वेव प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश तैयार करना और अपडेट करना।
- **संसाधन आवंटन:** एसी हेलमेट, कूलिंग जैकेट, पोर्टेबल फैन, छाते और हाइड्रेशन सामग्रियाँ (पानी, ग्लूकोज, ओआरएस, छाछ) जैसी गर्मी से बचाव की सामग्री खरीदना और वितरित करना।
- **प्रशिक्षण:** कर्मियों के लिए गर्मी से बचाव, लक्षणों की पहचान और गर्मी से संबंधित बीमारियों की प्राथमिक चिकित्सा पर प्री-समर प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना।
- **निगरानी:** उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (UPSDMA) के साथ समन्वय करके हीट वेव पूर्वानुमानों की निगरानी करना और परामर्श जारी करना।

जिला यातायात पुलिस इकाइयाँ

- **क्रियान्वयन:** सभी यातायात चौकियों और चौराहों पर एसओपी के अनुपालन को सुनिश्चित करना।
- **उपकरण वितरण:** कर्मियों को आवश्यक सुरक्षा उपकरण और हाइड्रेशन सामग्रियाँ उपलब्ध कराना, जैसा कि कानपुर में Aironic Air-Conditioned Safety Helmet के परीक्षण में किया गया।

- **ड्यूटी समय निर्धारण:** ड्यूटी रोस्टर इस प्रकार समायोजित करना कि दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक की अत्यधिक गर्मी में कर्मियों का एक्सपोजर कम हो और उन्हें छायादार स्थानों या ट्रैफिक कियोस्क में विश्राम करने दिया जा सके।
- **स्वास्थ्य निगरानी:** चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्त करना ताकि वे नियमित रूप से कर्मियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर सकें, विशेष रूप से लू और हीट स्ट्रोक के लक्षणों पर ध्यान केंद्रित करते हुए।

यातायात पुलिस कर्मियों की जिम्मेदारियाँ

अनुपालन (Compliance):

- प्रदान किए गए सुरक्षा उपकरणों (जैसे, एयरोनिक एयर-कंडीशंड सेफ्टी हेलमेट, धूप के चश्मे, कैप) का उपयोग करें और हाइड्रेशन प्रोटोकॉल का पालन करें (पानी साथ रखें, ग्लूकोज/ओआरएस का सेवन करें)।

सतर्कता (Vigilance):

- गर्मी से संबंधित लक्षणों की तुरंत रिपोर्ट करें और कम यातायात अवधि के दौरान छाया में आश्रय लें, जैसा कि हैदराबाद में अभ्यास किया जाता है जहाँ कर्मी ट्रैफिक छाते का उपयोग करते हैं।

जन सहायता (Public Assistance):

- मोटर चालकों और पैदल यात्रियों को हीट वेव सुरक्षा के बारे में जागरूक करें, जैसे पानी साथ रखना और दोपहर की यात्रा से बचना।

बाहरी एजेंसियों के साथ सहयोग (Collaboration with External Agencies):

- **स्वास्थ्य विभाग:** नजदीकी अस्पतालों में आपातकालीन चिकित्सा सहायता और लू उपचार सुविधाओं के लिए समन्वय करें।
- **गैर सरकारी संगठन (NGOs) और स्थानीय निकाय:** अतिरिक्त संसाधनों के लिए साझेदारी करें, जैसे पानी के कैंपर या कूलिंग स्टेशन, जैसा कि जयपुर में किया गया।
- **मौसम विभाग:** संचालन और कर्मियों की तैनाती की योजना बनाने के लिए हीट वेव अलर्ट का उपयोग करें।
- **आपातकालीन प्रतिक्रिया (Emergency Response):** आपातकालीन सेवाओं के साथ समन्वय करें ताकि गर्मी से उत्पन्न घटनाओं, जैसे गर्मी से थकान के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं का प्रबंधन किया जा सके।

जन जागरूकता (Public Awareness):

- **सूचना प्रसार (Information Dissemination):** पब्लिक एड्रेस सिस्टम और साइनबोर्ड का उपयोग करके यात्रियों को हीट वेव सावधानियों और उपलब्ध सहायता के बारे में सूचित करें।
- **सहायता बूथ (Assistance Booths):** व्यस्त चौराहों पर हेल्प डेस्क स्थापित करें ताकि परेशान यात्रियों को पानी और प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया जा सके।

हीट वेव से पूर्व की कार्यवाही (Pre-Heat Wave Actions):

- उन उच्च-जोखिम क्षेत्रों की पहचान करें और चिह्नित करें, जैसे लंबे, बिना छाँव वाली सड़कें, जहाँ लोग गर्मी के संपर्क में आकर प्रभावित हो सकते हैं।
- स्थानीय सरकारों के साथ समन्वय करके बस स्टॉप पर छायादार प्रतीक्षालयों के निर्माण को सुनिश्चित करें।
- ड्राइवरों, बाइक सवारों और पैदल यात्रियों को हाइड्रेटेड रहने और हीट एक्सॉशन को पहचानने के लिए शिक्षित करें।
- सार्वजनिक परिवहन को सुबह जल्दी और शाम देर तक उपलब्ध कराएँ ताकि लोग चरम समय में यात्रा करने से बच सकें।

हीट वेव के दौरान की कार्यवाही (During Heat Wave Actions):

- अत्यधिक गर्मी के दौरान यातायात जाम का प्रबंधन करें ताकि प्रमुख शहरों, नजदीकी अस्पतालों और स्कूलों में सड़क अवरोध और दुर्घटनाओं से बचा जा सके।
- गर्मी से संबंधित चिकित्सा आपातकालीन स्थितियों में एम्बुलेंस और आपातकालीन वाहनों के लिए प्राथमिकता निकासी सुनिश्चित करें।
- प्रमुख चौराहों पर जल वितरण केंद्र स्थापित करने में सहायता करें।
- चरम गर्मी के घंटों में यातायात परामर्श और यात्रा प्रतिबंध जारी करें।
- शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के साथ समन्वय करके भीड़-भाड़ वाले चौराहों पर अस्थायी शेड लगवाएँ ताकि चरम समय में सीधे धूप से राहत मिल सके।

हीट वेव के बाद की कार्यवाही (Post-Heat Wave Actions):

- हीटवेव से संबंधित यातायात घटनाओं और आपात स्थितियों की समीक्षा करें ताकि भविष्य की तैयारी में सुधार किया जा सके।
- अत्यधिक गर्मी की स्थिति के दौरान भारी यातायात की आवाजाही पर दीर्घकालिक नियमों को लागू करें।

नागरिक समाज संगठन (CSOs) गैर-सरकारी संगठन (NGOs) एजेंसियाँ

उद्देश्य

सरकारी प्रयासों के साथ समन्वय में जागरूकता, सामुदायिक पहुँच और राहत सेवाओं की अंतिम स्तर तक आपूर्ति के माध्यम से कमजोर वर्गों का सहयोग करना।

व्यापकता

यह मानक कार्यप्रणाली (SOP) उत्तर प्रदेश में कार्यरत सभी CSOs और NGOs पर लागू होती है जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण, जन स्वास्थ्य, मानवीय सहायता, सामुदायिक विकास या जलवायु सहनशीलता गतिविधियों में लगे हुए हैं। इसमें शामिल हैं:

- **रोकथाम और तैयारी:** अत्यधिक गर्मी शुरू होने से पहले जोखिमों को कम करने के उपाय।
- **प्रतिक्रिया (Response):** हीट वेव के दौरान जीवन और आजीविका की रक्षा के लिए तत्काल कदम।
- **पुनर्प्राप्ति (Recovery):** हीट वेव के बाद सामुदायिक कल्याण बहाल करने और लचीलापन बढ़ाने की गतिविधियाँ।
- **जागरूकता:** समुदायों को शिक्षित करना और टिकारू हीट वेव प्रबंधन के लिए नीतियों को प्रभावित करना।
- **भौगोलिक क्षेत्र:** उत्तर प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र, विशेषकर हीट-प्रवण जिले।

भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ

CSOs और NGOs की जिम्मेदारियाँ

- स्थानीय समुदायों को हीट वेव की तैयारी और प्रतिक्रिया उपाय अपनाने के लिए प्रेरित करना।
- उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (UPSDMA), स्वास्थ्य विभागों और स्थानीय पंचायतों सहित राज्य और जिला प्राधिकरणों के साथ सहयोग करना।
- हीट वेव के दौरान जलपान केन्द्र, कूलिंग शेल्टर और चिकित्सीय सहयोग जैसी आवश्यक सेवाएँ प्रदान करना।
- सामुदायिक स्वयंसेवकों और स्थानीय नेताओं को हीट वेव प्रबंधन पर प्रशिक्षण देना।
- हीट वेव प्रभावों का दस्तावेजीकरण करना और संबंधित अधिकारियों के साथ आँकड़े साझा करना ताकि प्रतिक्रिया रणनीतियों को बेहतर बनाया जा सके।

- जलवायु—सहनशील बुनियादी ढांचे और समान संसाधन वितरण के लिए नीतियों और व्यवहारों को बढ़ावा देना।

हीट वेव से पहले की कार्यवाहियाँ

- राज्य और जिला स्तर पर SDMA और DDMA के साथ मजबूत समन्वय तंत्र स्थापित करना।
- हीट वेव जोखिम आकलन करना और उच्च—जोखिम वाले समुदायों की पहचान करना।
- आकस्मिक योजनाएँ विकसित करना और ORS, ठंडा पानी तथा आवश्यक दवाएँ पहले से उपलब्ध कराना।
- स्वास्थ्य कर्मियों, स्वयंसेवकों और सामुदायिक प्रतिक्रियाकर्ताओं को प्राथमिक उपचार, हीट स्ट्रेस के लक्षण और आपातकालीन प्रोटोकॉल पर प्रशिक्षण देना।
- स्थानीय भाषाओं में जागरूकता अभियान चलाकर समुदायों को हीट वेव जोखिम और सुरक्षा उपायों के बारे में शिक्षित करना।
- वृक्षारोपण, शहरी हरियाली और हीट—प्रतिरोधी अवसंरचना जैसी टिकाऊ समाधानों को बढ़ावा देना।

हीट वेव के दौरान की कार्यवाहियाँ

- प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित राहत के लिए आपात प्रतिक्रिया टीमों को सक्रिय करना।
- ठंडे पानी के स्टेशनों, छायादार विश्राम स्थलों और प्राथमिक चिकित्सा सेवाओं से युक्त हीट वेव राहत शिविर स्थापित करना।
- ORS, कूलिंग पैक और आवश्यक दवाएँ वितरित करना, विशेषकर वृद्धजनों, दिव्यांगजनों, बच्चों तथा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को प्राथमिकता देना।
- गंभीर रोगियों के लिए हीट स्थिरीकरण केंद्रों को समर्थन देने हेतु स्वास्थ्य और जिला अधिकारियों के साथ मिलकर कार्य करना। जीवन रक्षक हीट वेव सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए सार्वजनिक संचार और जागरूकता प्रयासों को सुदृढ़ करना।

हीट वेव के बाद की कार्यवाहियाँ

- हीट वेव के प्रभाव का आकलन करना और भविष्य की तैयारी के लिए सबक दस्तावेज करना।
- आजीविका बहाली और टिकाऊ पहलों के माध्यम से प्रभावित समुदायों का पुनर्वास करना।
- दीर्घकालिक नीतिगत बदलाव, शहरी हरियाली विस्तार और अवसंरचना लचीलापन कार्यक्रमों के लिए जलवायु अनुकूलन रणनीतियों को बढ़ावा देना।

- हरे छत और परावर्तक आवासीय सामग्री जैसे सामुदायिक-नेतृत्व वाले हीट न्यूनीकरण समाधानों के लिए तकनीकी और वित्तीय सहयोग प्रदान करना।
- समन्वय और साझा अधिगम बैठकों के दौरान SDMA और DDMA_s को प्रतिपुष्टि (फीडबैक) देना।

उत्तर प्रदेश का जिला वार लू थ्रेशोल्ड

SL NO	District	Heat Threshold		
		Yellow Alert	Orange Alert	Red Alert
1	AGRA	40.54	43.08	45.26
2	ALIGARH	40.03	42.55	44.78
3	AMBEDKAR NAGAR	39.67	42.20	44.36
4	AMETHI	39.87	42.43	44.55
5	AMROHA	39.33	42.00	44.33
6	AURAIYA	40.44	43.01	45.11
7	AYODHYA	39.67	42.20	44.36
8	AZAMGARH	39.98	42.58	44.71
9	BAGHPAT	39.61	42.01	44.43
10	BAHRAICH	38.81	41.26	43.44
11	BALLIA	39.18	41.62	43.83
12	BALRAMPUR	38.45	40.72	42.94
13	BANDA	40.58	43.30	45.31
14	BARABANKI	39.68	42.24	44.38
15	BAREILLY	39.34	42.00	44.25
16	BASTI	39.27	41.73	43.93
17	BHADOHI	40.28	42.98	45.02
18	BUNOR	36.47	39.08	41.48
19	BUDAUN	39.92	42.52	44.72
20	BULANDSHAHR	39.74	42.29	44.63
21	CHANDAULI	39.52	42.26	44.38
22	CHITRAKOOT	39.86	42.64	44.66
23	DEORIA	39.08	41.50	43.67
24	ETAH	40.22	42.80	44.93
25	ETAWAH	40.50	43.05	45.15
26	FARRUKHABAD	40.01	42.59	44.75
27	FATEHPUR	40.37	43.03	45.10
28	FIROZABAD	40.50	43.05	45.15
29	GAUTAM BUDH NAGAR	39.96	42.40	44.69
30	GAZIPUR	39.71	42.31	44.48
31	GHAZIABAD	39.55	42.11	44.48
32	GONDA	39.36	41.82	43.94
33	GORAKHPUR	39.38	41.85	44.08
34	HAMIRPUR	40.51	43.21	45.27
35	HAPUR	39.33	42.00	44.33
36	HARDOI	39.73	42.35	44.49
37	HATHRAS	40.30	42.87	45.05
38	JALAUN	40.55	43.23	45.34
39	JAUNPUR	39.98	42.58	44.71
40	JHANSI	40.40	43.05	45.14
41	KANNAUJ	40.10	42.63	44.74
42	KANPUR NAGAR	40.51	43.21	45.27
43	KANPUR DEHAT	40.26	42.86	44.96
44	KASGANJ	39.65	42.29	44.50
45	KAUSHAMBI	40.52	43.23	45.24
46	LAKHIMPUR KHERI	39.30	41.87	44.11
47	KUSHINAGAR	38.75	41.08	43.30
48	LALITPUR	39.07	41.66	43.80
49	LUCKNOW	39.94	42.55	44.65
50	MAHARAJGANJ	38.49	40.84	43.05
51	MAHOBA	40.48	43.21	45.30
52	MAINPURI	40.26	42.80	44.92
3	MATHURA	40.40	42.95	45.12
54	MAU	39.39	41.89	44.14
55	MEERUT	39.33	42.00	44.33
56	MIRZAPUR	39.88	42.65	44.69
57	MORADABAD	39.02	41.69	43.97
58	MUZAFFAR NAGAR	38.47	41.19	43.65
59	PILIBHIT	38.82	41.50	43.91
60	PRATAPGARH	40.14	42.77	44.88
61	PRAYAGRAJ	40.53	43.15	45.21
62	RAIBARELI	40.24	42.88	45.02
63	RAMPUR	39.34	42.00	44.25
64	SAHARANPUR	38.19	41.01	43.65
65	SAMBHAL	39.59	42.21	44.41
66	SANT KABIR NAGAR	38.94	41.30	43.51
67	SHAHJAHANPUR	39.50	42.05	44.30
68	SHAMLI	39.16	41.81	44.29
69	SHRAWASTI	39.05	41.39	43.49
70	SIDDHARTH NAGAR	37.83	40.05	42.25
71	SITAPUR	39.51	42.08	44.26
72	SONBHADRA	39.02	41.80	43.95
73	SULTANPUR	39.87	42.43	44.55
74	UNNAO	40.12	42.73	44.82
75	VARANASI	40.12	42.72	44.83



उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

पिकप भवन, पिकप भवन मार्ग, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226010

ईमेल : upsdma@gmail.com

वेबसाइट : <http://upsdma.up.nic.in>